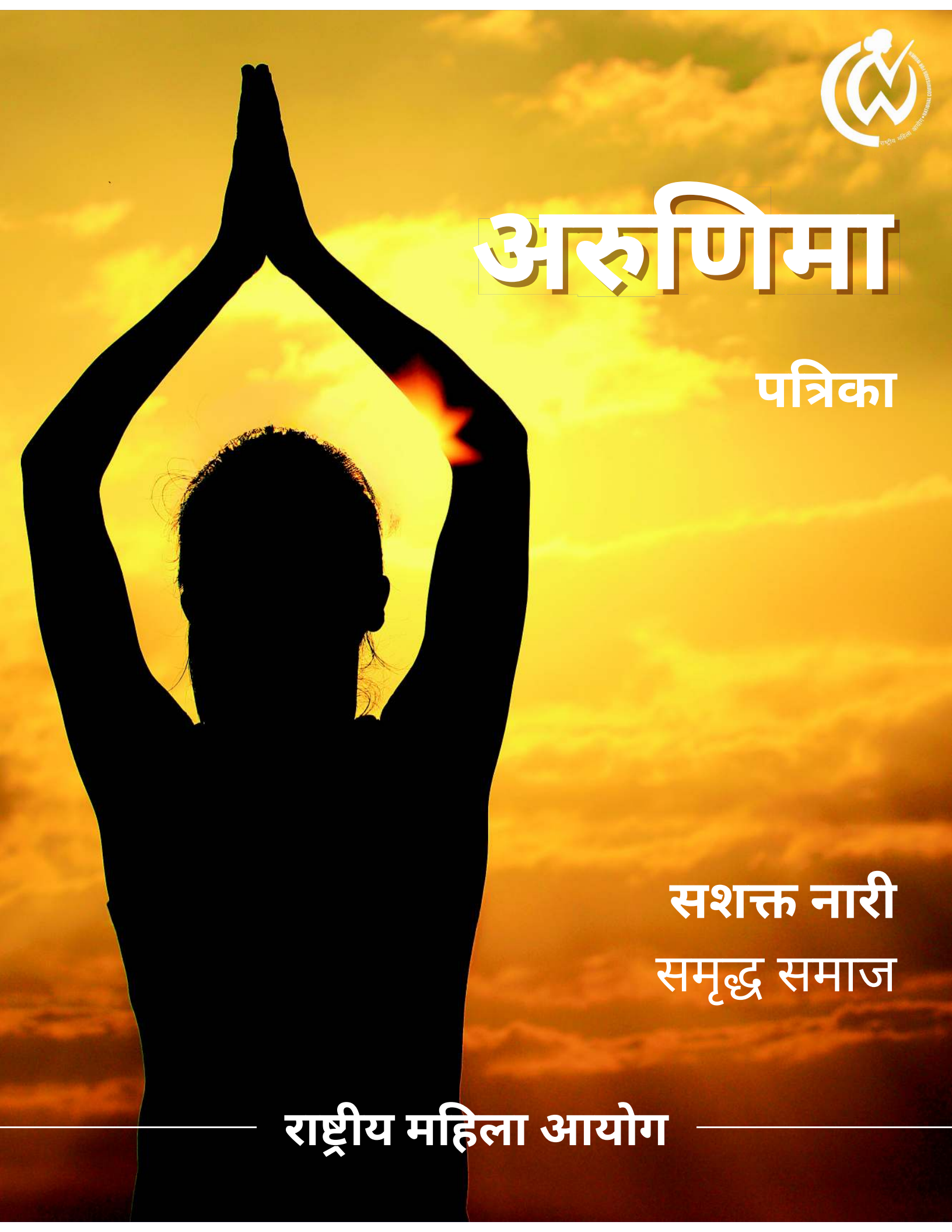

अरुणिमा

पत्रिका

सशक्त नारी
समृद्ध समाज

राष्ट्रीय महिला आयोग

“ कह न ठंडी साँस में अब भूल वह जलती कहानी
आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी
हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका
राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी
है तुझे अंगार-शय्या पर मृदुल कलियां बिछाना
जाग तुझको दूर जाना ”

-महादेवी वर्मा

अरुणिमा

नई भोर, नई आशाएं

अर्धवार्षिक
पत्रिका
वर्ष 2023, अंक -1

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

अमित शाह
गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

प्रिय देशवासियो!

आप सब को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।

भारत भाषिक विविधता का देश रहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की भाषिक विविधता को एकता के सूत्र में पिरोने का नाम **'हिंदी'** है। हिंदी भाषा अपनी प्रवृत्ति से ही इतनी जनतांत्रिक रही है कि इसने भारतीय भाषाओं और बोलियों के साथ–साथ कई वैश्विक भाषाओं को यथोचित सम्मान देते हुए उनकी शब्दावलियों, पदों, वाक्य विन्यासों और वैयाकरणिक नियमों को आत्मसात किया है।

हिंदी भाषा ने स्वतंत्रता आन्दोलन के मुश्किल दिनों में देश को एकता के सूत्र में बाँधने का अभूतपूर्व कार्य किया। अनेक भाषाओं और बोलियों में बँटे देश में ऐक्य भावना से पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक स्वतंत्रता की लड़ाई को आगे बढ़ाने में संवाद भाषा हिंदी की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। इसीलिए, लोकमान्य तिलक हों, महात्मा गांधी हों, लाला लाजपत राय हों, नेताजी सुभाषचंद्र बोस हों, राजगोपालाचारी हों; हिंदी के शुरुआती पैरवीकारों में बहुसंख्यक उन प्रदेशों के लोग थे, जिनकी मातृभाषाएँ हिंदी नहीं थीं।

किसी भी देश की मौलिक सोच और सृजनात्मक अभिव्यक्ति सही मायनों में सिर्फ उस देश की अपनी भाषा में ही की जा सकती है। प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चन्द्र ने लिखा है कि, **"निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति कौ मूल।"** यानि कि, अपनी भाषा की उन्नति ही सभी प्रकार की उन्नति का मूल है। राष्ट्र की पहचान इस बात से भी होती है कि उसने अपनी भाषा को किस सीमा तक मजबूत, व्यापक एवं समृद्ध बनाया है। यही कारण है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 343 द्वारा संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी और लिपि के रूप में देवनागरी को अपनाया।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय भाषाओं को राष्ट्रीय से वैश्विक मंचों तक यथोचित सम्मान मिला है। हमारी सभी भारतीय भाषाएँ और बोलियाँ हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं।

अपनी भाषा में सुनी हुई अवांछनीय बातें भी बहुत बुरी नहीं लगती। कवि **विद्यापति** की शब्दावली में कहूँ तो **'देसिल बयना सब जन मिट्ठा'** यानि देशी भाषा सभी जनों को मीठी लगती है। गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग निरंतर प्रयत्नशील है कि शहद सामान मीठी भारतीय भाषाओं को आधुनिक तकनीक के माध्यम से अत्याधुनिक और वैज्ञानिक प्रयोग के अनुकूल उपयोगी बनाया जा सके।

सरकार और जनता के बीच भारतीय भाषाओं में संवाद स्थापित कर जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी तौर पर लागू किया जा सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जन–जन तक उनकी ही भाषा में उनके हित की बात पहुँचाकर आदर्श लोकतंत्र के निर्माण का सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है। राजभाषा विभाग ने इसी उद्देश्य से राजभाषा हिंदी के प्रयोग को सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सहज बनाने की दिशा में काम करते हुए स्मृति आधारित अनुवाद प्रणाली **'कंठस्थ'** का निर्माण और विकास किया है। फिजी में संपन्न 'विश्व हिंदी सम्मेलन' में **'न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन'** के साथ इसके नए वर्जन (कंठस्थ 2.0) के मोबाइल ऐप का भी लोकार्पण भी किया गया है।

राजभाषा विभाग की एक नई पहल **'हिंदी शब्द सिंधु'** शब्दकोश का निर्माण है। इस शब्दकोश में संविधान की 8वीं अनुसूची में अधिसूचित भारतीय भाषाओं के शब्दों को शामिल कर इसे निरंतर समृद्ध किया जा रहा है। साथ ही, विभाग ने **'लीला हिंदी प्रवाह'** मोबाइल ऐप भी तैयार किया है, जिसे अपनाकर विभिन्न भाषा–भाषी 14 भारतीय भाषाओं के माध्यम से अपनी–अपनी मातृभाषाओं से स्तरीय हिंदी निःशुल्क सीख सकते हैं।

भाषा परिवर्तन का सिद्धांत यह कहता है कि भाषा जटिलता से सरलता की ओर जाती है। मेरे विचार से हिंदी के सरल और सुस्पष्ट शब्दों को कार्यालयी कामकाज में प्रयोग में लाना चाहिए। टिप्पणी, पत्राचार, ई–मेल, विज्ञप्ति आदि के लिए आम बोलचाल के शब्दों व वाक्यों के प्रयोग से हिंदी के प्रयोग का चलन बढ़ेगा।

हमारे लिए हिंदी का प्रश्न सिर्फ एक भाषा का प्रश्न नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान व सांस्कृतिक गौरव का विषय है। मुझे विश्वास है कि राजभाषा विभाग के उपरोक्त प्रयासों से सभी मातृभाषाओं को आत्मसात करते हुए लोकसम्मत भाषा हिंदी विज्ञानसम्मत व तकनीकसम्मत होकर संपन्न राजभाषा के रूप में स्थापित होगी।

पुनश्च, आप सब को हिंदी दिवस की अनंत शुभकामनाएं।

नई दिल्ली,
14 सितंबर, 2023

(अमित शाह)

स्मृति ज़ूबिन इरानी
Smriti Zubin Irani

आज़ादी का अमृत महोत्सव

मंत्री
महिला एवं बाल विकास
अल्पसंख्यक कार्य
भारत सरकार
Minister
Women & Child Development
Minority Affairs
Government of India

संदेश

हिन्दी देश को विविधता में एकता के सूत्र में पिरोने का परिचायक है। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक हिन्दी ने देश की साहित्यिक-सांस्कृतिक उन्नति में विशेष भूमिका का निर्वहन किया है। राजभाषा के तौर पर इसका संवर्धन आवश्यक है। जिसका अहम माध्यम राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित 'अरुणिमा' पत्रिका बनेगी।

देश में विशेषकर महिलाओं को साहित्यिक मंच प्रदान करने का आयोग का प्रयास सराहनीय व प्रशंसनीय है। यह उन्हें अभिव्यक्ति के नवीन आयाम प्रदान करने के साथ उनके विचारों को सशक्त करने वाली सिद्ध होगी। मैं राष्ट्र उन्नति के पथ को सुदृढ़ करने हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग के सकारात्मक प्रयास 'अरुणिमा' के लिए शुभकामनाएँ प्रेषित करती हूँ। आशा है कि यह देशहित में जन-उपयोगी सिद्ध होगी।

शुभकामनाओं सहित,

भवदीया

स्मृति इरानी

(स्मृति ज़ूबिन इरानी)

Room No 301, 'A' Wing, Shastri Bhawan, New Delhi 110001, Tel. No. : 011-23071331
First Floor, Pt. Deendyal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003, Tel. No. : 011-24360585
Resi.: 28, Tughlak Crescent, New Delhi-110003, Phone : 011-23011382

अध्यक्ष की कलम से

भारत में महिलाओं ने अपने ज्ञान व कौशल के कारण सदैव ही स्वयं को उत्तम प्रमाणित किया है। यहाँ महिलाएँ एक हाथ में भारतीय संस्कृति को थाम कर दूसरे हाथ से आधुनिकता का ध्वज बुलंद करती हैं। जहाँ पूरे विश्व में महिलाओं को समानता व मताधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ा वहीं भारत में स्थिति इससे भिन्न रही। हमारे संविधान ने सबको समान अवसर दिए हैं परंतु इन कानूनों का सही क्रियान्वयन समाज के द्वारा ही संभव है।

आज पूरा विश्व भारत की सांस्कृतिक चेतना “वसुधैव कुटुंबकम” का सम्मान कर रहा है। “वसुधैव कुटुंबकम” के मंत्र के जरिए विश्व बंधुत्व की भावना को हम जीते आए हैं। आम जन में हिन्दी भाषा की स्वीकार्यता को देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग का "अरुणिमा" के रूप में यह प्रयास है कि महिलाएं स्वयं से जुड़े अधिकारों के प्रति जागरूक बनें एवं निरंतर राष्ट्र के विकास में चल रहे कार्यों का नेतृत्व करें तथा देश के विकास में अपना पूर्ण योगदान दें।

जिस प्रकार सूर्य उगने से पहले अपनी लालिमा बिखेरता है उसी प्रकार “अरुणिमा” का प्रयास है हिंदी का प्रयोग वास्तविक व्यवहार में लाना क्योंकि भाषा व्यवहार से सीखी जाती है और वास्तविक व्यवहार के जरिए ही चलती और बढ़ती है।

इस पत्रिका का उद्देश्य है कि हिंदी को सरलतम रूप में अपनाकर सभी के बीच लेकर जाएं, जिससे महिलाओं के विभिन्न मुद्दों को आसान भाषा में समझा और समझाया जा सके। यह पहला संस्करण है, इसमें My gov पोर्टल के माध्यम से भी देश की युवा-शक्ति की ओर से प्राप्त चयनित कविता, कहानी एवं निबंधों को शामिल किया गया ताकि उत्कृष्ट भारत के निर्माण की आधार-शिला युवा छात्रों के विचारों से रची जा सके।

मैं राष्ट्रीय महिला आयोग के उन सभी अधिकारियों की सराहना करती हूँ जिन्होंने "अरुणिमा" के प्रकाशन में अपना सहयोग दिया, विशेष रूप से उन सभी युवाओं का भी आभार प्रकट करती हूँ जिनकी रचनाएं अरुणिमा में प्रकाशित हुई हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह प्रकाशन सभी पाठकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

-रेखा शर्मा

सदस्य सचिव का संदेश

भारत आज सांस्कृतिक, राजनीतिक व आर्थिक रूप से विश्व के अग्रणी देशों में शामिल है। इस देश की बौद्धिक परंपरा का अस्तित्व इसकी आध्यात्मिक चेतना पर केन्द्रित है तथा देश की इस आध्यात्मिक चेतना के मूल में नारी शक्ति का चिंतन रहा है। महिलाएं नीति और नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं। आज महिलाएं शिक्षा से लेकर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं।

एक महिला का सामर्थ्य व कौशल सिर्फ एक परिवार ही नहीं, पूरे राष्ट्र की दिशा तय करता है। "अरुणिमा" के रूप में राष्ट्रीय महिला आयोग का यह प्रयास है कि महिलाएं सक्षम हों, समर्थ हों तथा देश को दिशा व दशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँ। वे सड़क से लेकर स्कूल तक, कक्षा से लेकर कार्यस्थल तक स्वयं को सुरक्षित महसूस करें।

प्रस्तुत अंक में राष्ट्रीय महिला आयोग के विभिन्न प्रकोष्ठों द्वारा किए जा रहे कार्यों, विशेष रूप से मानव तस्करी रोकने, महिला को "शी इज ए चेंज मेकर" के रूप में प्रतिबिंत करने, 24x7 हेल्पलाइन, डिजिटल साक्षरता तथा महिलाओं से संबंधित कई लेखों के माध्यम से महिलाओं की समस्याओं एवं उनके निवारण से संबंधित जानकारी देने का प्रयास किया गया है। "गौरैया आई", "ईश्वर का फरिश्ता-अनमोल", "सच्ची कहानी- सौम्या की", "मैं ससुराल नहीं जाऊँगी" आदि कहानियों के माध्यम से जीवन में बड़ों के आशीर्वाद व सहिष्णुता की तस्वीर दिखाई देती है। "माँ", "माँ की यादें" कविता में बहुत ही मार्मिक वर्णन है, व्यक्ति के जीवन में माँ के होने के एहसास का। वहीं "हमारी कल्पना", "धर्नुधारी", "सबला नारी", "हिम्मत" तथा अन्य कई कविताओं में महिलाओं को और अधिक कार्यकुशल बनाने का प्रयास किया गया है। आज के युग में महिला सिर्फ घर की चौखट तक ही सीमित नहीं है, वह हर क्षेत्र में बढ़-चढ़कर अपना योगदान दे रही है।

"अरूणिमा" में खासतौर पर ध्यान दिया गया है कि बहुत क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग न किया जाए ताकि पुस्तक की पहुँच सूर्य की किरणों की तरह बहुत विस्तृत हो और हर जन-सामान्य, स्त्री, पुरुष, वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों के बीच में यह अपना स्थान बना सके।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि "अरुणिमा" का प्रकाशन सभी पाठकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

मी नेगी

-मीनाक्षी नेगी

वार्षिक पत्रिका
वर्ष 2023, अंक -1

संरक्षक
श्रीमती रेखा शर्मा, अध्यक्ष, रा.म.आ

संपादन-संयोजक
श्रीमती मीनाक्षी नेगी, सदस्य सचिव
श्री ए.अशोली चलाई, संयुक्त सचिव
डॉ.शिवानी दे, उप सचिव
श्री आशुतोष पांडे, अवर सचिव

संपादक - मंडल
सुश्री शालिनी रस्तोगी, अवर सचिव
श्री पंकज पालीवाल, अनुभाग अधिकारी
श्रीमती अरुणा(भारद्वाज)शर्मा,
परामर्शदाता(राभा)

सहयोग
श्रीमती उषा रानी, डाटा एंट्री ऑपरेटर
सुरुचि पुंज, निजी सचिव, रा.म.आ.

चित्रांकन
सुश्री सना के गुप्ता, सलाहकार, मीडिया/
सोशल मीडिया
श्री शिवम गर्ग, सलाहकार, मीडिया/सोशल
मीडिया

राष्ट्रीय महिला आयोग
प्लॉट नंबर 21, जसोला संस्थानिक क्षेत्र
नई दिल्ली-110025

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित पत्रिका में अभिव्यक्त विचारों से संपादक-मंडल अथवा आयोग की सहमति अनिवार्य नहीं है। रचनाओं की मौलिकता और उनमें प्रस्तुत तथ्यों, आंकड़ों आदि की यथार्थता के लिए भी संबंधित लेखक ही जिम्मेदार हैं।

विषयसूची

कहानी

गौरैया आई 8-9
एक सच्ची कहानी - सौम्या की 20-21
मैं ससुराल नहीं जाऊंगी.. 44-45
ईश्वर का भेजा फ़रिश्ता,अनमोल 46-47

विवरण

मानव तस्करी बंद हो ! 13
शी इज ए चेंज मेकर 14-16
राष्ट्रीय महिला आयोग 24X7 हेल्पलाइन 18-19
स्वतंत्रता दिवस समारोह 27
स्थापना दिवस समारोह 40
डिजिटल युग में महिलाओं का सशक्तिकरण 42-43
नयी उड़ान 50-51
हिंदी पखवाड़ा 2022 52

लेख

प्रेरणा-महिला सशक्तिकरण की 11-12
महिला आरक्षण: महिलाओं की सहभागिता 17
महिला सशक्तिकरण 23-26
विकास का दौर 29-31
हाँ, हमें हिंदी आती है 33-34
समस्या है तो समाधान भी है 36-39
महात्मा गाँधी का ताबीज़ 48

कविता

हिम्मत 8
जागो नारी जागो 8
सबला नारी 17
माँ की यादें 22
कुछ बदला है, कुछ बदलना है 28
पिता का सपना 28
कामयाबी की सुबह 32
हमारी कल्पना 35
धनुर्धारी 35
उड़ने को बेचैन हैं हसरतें अब 41
माँ 41
अस्तित्व 43
महिला शक्ति 49

प्रश्नोत्तरी

गौरैया आई

-मीनाक्षी नेगी
सदस्य सचिव, रा.म.आ.

“गौरैया आई है, भगाओ उसे”, धूप में डाला हुआ धान बटोरते हुए दादी की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। कभी अकेले नहीं आती, पूरी टोली को लेकर आ जाती है और सारे धान का कबाड़ा कर जाती है, दादी बुदबुदा रही थी। मैंने खिड़की से बाहर झांका तो देखती हूँ कि 15-20 छोटी-छोटी चिड़ियाँ दादी के धूप में सूखते हुए धान पर मँडरा रही थी।

दादी की चिड़ियों को भगाने की नाकाम कोशिश, मेरे चेहरे पर सहज ही मुस्कुराहट ले आई। मेरी दादी, छोटी-सी, दुबली-पतली, चांदी जैसे बाल और चेहरे पर एक सदी की झुर्रियां लिए आंगन में एक कोने से दूसरे कोने तक फुदकती हुई किसी गौरैया से कम न थी। एक अजीब रिश्ता था मेरी दादी और गौरैया के बीच।

कुछ दिन पहले गांव के बच्चों ने गौरैया को पकड़ने के लिए एक खास यंत्र तैयार किया था। एक बड़े-से टोकरे को पीछे से लम्बी डोर से बांधा, फिर इस टोकरे को एक छोटी-सी डंडी के सहारे इस तरह से अटका दिया कि टोकरे के घेरे का एक भाग ज़मीन पर टिका था और बाकी का भाग ज़मीन से करीब एक फुट की ऊंचाई पर उस डंडी के सहारे टिका था। लगता था जैसे टोकरे और ज़मीन के बीच एक जबड़ा बना हो। इस जबड़े में गेहूँ के दाने बिखेर दिए जाते। टोकरे के पीछे की डोर का एक छोर हाथ में लेकर पास के झुरमुट में हममें से एक शिकारी छुपकर बैठ जाया करता। जैसे ही चिड़िया दाना चुगने आती शिकारी झट से डोर खींचता, इससे डंडी, जिसके सहारे टोकरा अटका था हिल कर गिर जाती और टोकरा चिड़िया पर ढक्कन की तरह गिर जाता। इस तरह 4 घण्टों में 6-10 चिड़ियों का शिकार हो जाता।

बच्चों का यह खेल उस दिन खत्म हुआ जिस दिन शाम को खेतों की ओर जाती हुई दादी की पैनी नज़र इस यंत्र पर पड़ी। सभी बच्चों को लाइन में खड़ा किया गया। टोकरा, डोर और डंडी समेत ज़ब्त कर लिया गया। उम्र में सबसे बड़े होने के कारण मेरे बड़े भाई को मुर्गा बनाया गया और गम्भीर हिदायत दी गई कि दोबारा अगर ऐसी हरकत करते हुए पकड़े गए तो सब गांव वालों के सामने हम सबको मुर्गा बनाया जाएगा।

जब मैंने धीरे से कहा कि यह तो वही गौरैया है जो धूप में सूखते हुए धान को चोंच से चुगती और पैरों से बिखेरती है, क्या हम उनको पकड़ कर दादी की मदद नहीं कर रहे?

इस पर हम सबको सहिष्णुता पर लम्बा लेक्चर मिला। भगवान ने अगर गौरैया को बनाया है तो व्यर्थ ही थोड़े बनाया है। हम अपना अनाज कैसे बचाएं इसके लिए हम कोई उपाय सोचें, न कि भगवान की इस सुंदर रचना को मारें।

आंगन में दादी को गौरैयों के पीछे फुदकते हुए देखते समय यह घटना मेरे मानस पटल पर चित्रित हो रही थी। एक ओर गौरैयों से परेशान रहती दूसरी ओर उन पर आँच न आने देती। मैंने आंगन मैं जाकर दादी से कारण पूछ ही लिया। तब उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए बताया कि कहा जाता है, कि जब किसी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा नया रूप धारण करती है और किसी भी जीव के रूप में पुनः धरती पर आती है।

“हो सकता है कि इन गौरैयों में से कोई मेरी माँ, बाप या भाई, बहन हो। ज़रूर मेरा भाई ही होगा। बचपन में इतना परेशान करता था मुझे और अब फिर लौट आया है नई शैतानियाँ लेकर।” कहकर दादी की बूढ़ी आँखों में एक सदी पहले बीती हुई अपने बचपन की घटना सजीव हो गई। नम आंखों से मेरी ओर देखा और प्यार से बोली, मरने के बाद मैं भी गौरैया बनकर तेरे आँगन में आऊंगी तब भगाएगी तो नही!

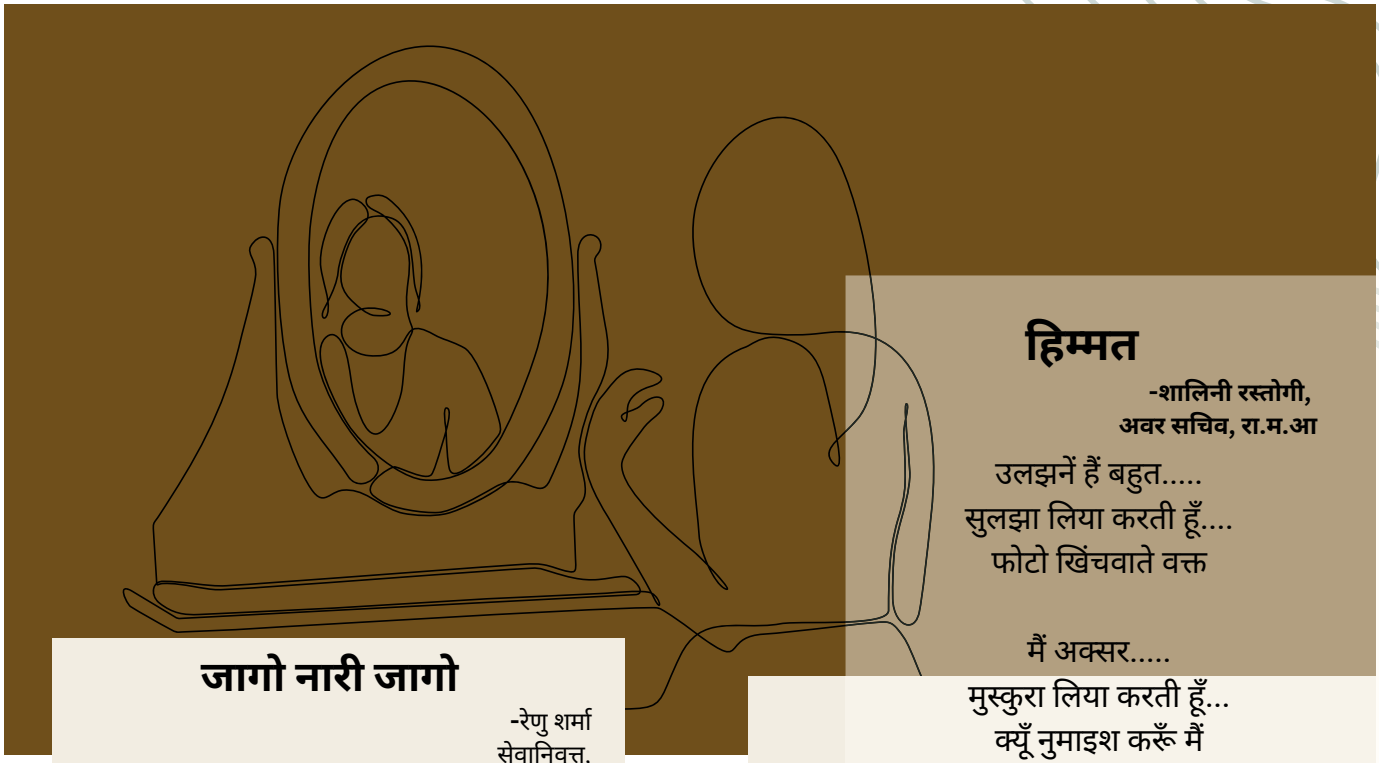

जागो नारी जागो

-रेणु शर्मा
सेवानिवृत्त,
हिंदी पी.जी.टी., डी.ए.वी

जागो नारी जागो ।
अपने साहस के बल पर नित,
नया इतिहास बनाना होगा ।
तोड़ बेड़ियों को अपनी,
बस आगे बढ़ते जाना होगा ।
अपनी आजादी के सफर में,
अपनी बुद्धि की छेनी से,
संकीर्णताओं की बेड़ियों को,
अब तुम्हें काटना ही होगा।
बन काली माँ,
इस धरती से अब अन्याय मिटाना होगा।
अन्याय मिटाना होगा।।

हिम्मत

-शालिनी रस्तोगी,
अवर सचिव, रा.म.आ

उलझनें हैं बहुत.....
सुलझा लिया करती हूँ....
फोटो खिंचवाते वक्त

मैं अक्सर.....
मुस्कुरा लिया करती हूँ...
क्यूँ नुमाइश करूँ मैं
अपने माथे पर शिकन की,
मैं अक्सर मुस्कुरा के इन्हें...
मिटा दिया करती हूँ...

क्यूँकि....
जब लड़ना है
खुद को खुद ही से,
हार-जीत में इसलिए कोई फर्क नहीं
रखती.....
हारूँ या जीतूँ कोई रंज नहीं
कभी खुद को जिता देती हूँ
कभी खुद से जीत जाती हूँ

क्यूँकि
जिन्दगी का हर दिन
सबके लिए एक चुनौती
बनकर सामने आता है,

बस
उन सभी चुनौतियों का सामना
करने की हिम्मत
रखना चाहती हूँ।

प्रेरणा- महिला सशक्तिकरण की

-लिली पॉल, पूर्व परामर्शदाता
मीडिया/सोशल मीडिया, रा.म.आ

महिला सशक्तिकरण पर दशकों से इतना कुछ बोला और लिखा जा चुका है कि इस विषय के साथ न्याय कर पाना अत्यधिक कठिन है। यह एकमात्र ऐसा विषय है जिस पर भले ही बहुत से लेख और वक्तव्य लिखे गए हों लेकिन फिर भी और अधिक लिखने की आवश्यकता बनी ही रहती है। बदलते वक्त और समाज के साथ महिला सशक्तिकरण के मायने भी परिवर्तित होते रहते हैं और खास कर जब आप एक ऐसी संस्था से नाता रखते हों जो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अग्रणी है, तब यह और भी जरूरी हो जाता है कि आप हर तबके और हर वर्ग की महिला के सशक्तिकरण के मायनों की समझ रखते हों।

अक्सर महिलाओं के सशक्तिकरण को समाज अपनी संकुचित मानसिकता से देखता है और यह उम्मीद भी रखता है कि महिलाएं उसके बनाए हुए मापदंडों के अनुसार ही अपना जीवन जिएं। यहां पर मैं अपने जीवन में सशक्तिकरण के मायनों पर रोशनी डालना चाहूंगी। यह बात तब की है जब मैं कक्षा सातवीं की छात्रा थी। हमारी अध्यापिका ने हम सबको एक गृह कार्य दिया। हम सभी को अपने घरों में रखी हुई एक ऐसी चीज लानी थी जो कि हमें आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा प्रेरणा देती है। हम सारे बच्चे अगले दिन कई अलग-अलग चीजें ले कर कक्षा में आए। किसी ने अपने पिताजी की कलम को अपनी प्रेरणा बताया तो किसी ने अपने घर में रखे पुरस्कारों को अपना प्रेरणा स्रोत बताया। मैं अपने साथ एक छोटी सी पुस्तक लेकर गई थी। जिसका शीर्षक तो मुझे फिलहाल याद नहीं आता लेकिन उसमें एक ऐसी बच्ची की कहानी थी जिसने विषम परिस्थितियों को मात देते हुए जीवन में सफलता प्राप्त की थी। किंतु हम में से सबसे अलग थी रियांशी। वो अपने साथ एक पुरानी चूड़ी लेकर आई थी। चूड़ी को देखकर ऐसा लगता था मानों काफी बार पहनी गई हो इतना कि अब वह किसी भी समय टूट सकती थी। हमारी अध्यापिका ने रियांशी से पूछा कि इस चूड़ी से आखिर उसे क्या प्रेरणा मिलती है। रियांशी ने जवाब दिया कि वह उसकी मां की चूड़ी है। इतनी पुरानी इसलिए हो गई क्योंकि हर मध्यमवर्गीय परिवार की माओं की तरह उन्हें भी नई चूड़ियां खरीदने का ख्याल ही नहीं रहता। रियांशी ने कहा कि उसकी मां की चूड़ियों को देखकर उसे यह प्रेरणा मिलती है कि जैसे कई कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी जिस धैर्य और सामर्थ्य का परिचय उसकी मां ने दिया है, वह चाहती है कि बड़ी होकर वह भी अपनी मां की तरह आत्मनिर्भर बने और अपनी मां के लिए हर वो चीज खरीद सके जो उन्हें पसंद हो।

कई बार ऐसा होता है कि हम महिला सशक्तिकरण को सिर्फ अच्छी नौकरी या सामाजिक ठाठ-बाट से या महिलाओं ने समाज में अपने लिए एक पहचान बनाई है से जोड़कर देखते हैं। निश्चित ही हमें उन महिलाओं पर गर्व है जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है लेकिन हमें उन महिलाओं के प्रयासों का भी सम्मान करना चाहिए जो भले ही उच्च पदवी पर न पहुंची हों लेकिन उनका जीवन महिला सशक्तिकरण की मिसाल है। हमें उन महिलाओं के योगदान की भी सराहना करनी चाहिए जो भले ही बड़े शहरों तक पढ़ने या नौकरी करने नहीं पहुंच पाई लेकिन उन्होंने अपनी बेटियों को ऐसे मौके मुहैय्या कराए जिससे वो अपने सपने पूरे कर सकें।

महिला सशक्तिकरण वह भी है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी बेटियाँ अपना डंका मनवाती हैं और वह भी जब किसी गाँव की एक साधारण सी महिला अपने बचत के पैसों से अपने लिए कुछ खरीदती है। जब कभी अपनी माँ अपनी बेटी को उसकी पसंदीदा जींस पहनने देनी है बिना ये सोचे कि समाज क्या कहेगा या जब कोई लड़की पहली बार अकेले किसी नए शहर में आती है, वह भी महिला सशक्तिकरण के कई रूपों में से एक है।

महिला सशक्तिकरण हर वो कार्य है जहाँ कोई महिला अपने आप को समाज द्वारा सिखाए गए मापदंडों को त्याग कर, निर्भीकता से आज़ादी की ओर कदम बढ़ाती है। महिलाओं की हर वह छोटी-बड़ी उपलब्धियाँ जो वो अपने भीतर के डर का सामना करके हासिल करती हैं, उन सभी प्रयासों का हमें सम्मान करना चाहिए।

महिला सशक्तिकरण के तहत हमें जरूरत है कि समाज हर उस महिला को उसकी मेहनत और उसके योगदान को न सिर्फ पहचाने पर यह समझे कि ये समाज महिलाओं के अनकहे योगदानों पर ही टिका हुआ है। महिलाओं को उनके इन योगदानों के लिए सम्मान देना ही महिला सशक्तिकरण है।

मानव तस्करी बंद हो !

-देबोलीना बनर्जी, सलाहकार.रा.म.आ.

मानव-तस्करी उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने 2 अप्रैल, 2022 को मानव-तस्करी रोधी प्रकोष्ठ स्थापित कर समाज और सरकार द्वारा तैयार की गई विभिन्न विधियों व कानूनों पर दृष्टिपात किया और मानव-तस्करी को समाप्त करने के लिए अन्य सरकारी संस्थाओं के सहयोग से जागरूकता कार्यक्रम की शुरूआत की।

उक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत भारत के सभी प्रभावित क्षेत्रों जैसे नई दिल्ली, मोरेह, मणिपुर, शिलांग, मेघालय, सवाई माधोपुर, कलिम्पोंग, पश्चिम बंगाल, मुंबई, महाराष्ट्र, गोवा, श्रीनगर और जम्मू-कश्मीर में समुदाय की विभिन्न श्रेणियों के लिए अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में केंद्रीय सुरक्षा बलों को सम्मिलित किया गया ताकि वे राज्यों और सीमावर्ती क्षेत्रों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों में अपनी क्षमताओं का उपयोग प्रभावी रूप से कर सकें।

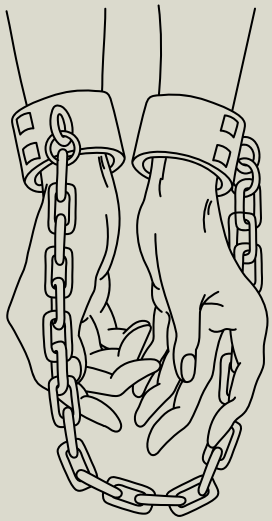

“शी इज ए चेंज मेकर” प्रशिक्षण परियोजना

-सर्वेश कुमार पांडेय
समन्वयक, रा.म.आ.

शी इज ए चेंज मेकर” निर्वाचित/नामित महिला प्रतिनिधियों और राजनैतिक दलों की महिला पदाधिकारियों में नेतृत्व कौशल की बेहतरी हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा चलाई जा रही प्रशिक्षण परियोजना है। यह प्रशिक्षण सशक्त महिला नेतृत्त्व, सशक्त लोकतंत्र के विचार से संचालित है। “शी इज ए चेंज मेकर” अखिल भारतीय स्तर पर चलाया जा रहा नए किस्म का प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत 16 नवम्बर 2021 से हुई। पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकाय के निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों, महिला विधायकों और राजनैतिक दलों के महिला पदाधिकारियों में क्षमता संवर्धन हेतु पूरे देश में यह प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है।

सीखना और नेतृत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कुशल नेतृत्व के लिए सीखना बेहद जरूरी है। महिला प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण के अवसर कम मिल पाते हैं और यदि अवसर मिलते भी हैं तो वहाँ बतौर महिला प्रतिनिधि उनके मुद्दे, सवाल और आवाज़ को तरजीह नही दी जाती। जेंडर संवेदनशील परिवेश न मिल पाने के कारण वे अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाती हैं। प्रशिक्षण में सक्रिय सहभागिता न हो पाने के कारण महिला प्रतिनिधि कई विषयों को सीख नही पाती हैं। राजनीतिक दुनिया महिलाओं के लिए चुनौती भरी रही है, जहाँ उन्हें पितृसत्तात्मक अनेकों भेद-भावों का सामना करना पड़ता है और इसी चुनौती भरे परिवेश मे नेतृत्व की अपनी काबिलियत को सिद्ध भी करना होता है। उपरोक्त विचार को ध्यान मे रखते हुए “शी इज ए चेंज मेकर” प्रशिक्षण परियोजना की संकल्पना की गई है।

राष्ट्रीय महिला आयोग “शी इज ए चेंज मेकर” राज्य स्तरीय और प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों के सहयोग से पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। तीन दिवसीय प्रशिक्षण में नेत्तृत्व के गुण और कौशल, संचार कौशल, सोशल मीडिया का प्रभावकारी उपयोग, कुशल वक्ता के गुण, टीम बिल्डिंग, जेंडर संवेदनशीलता, जेंडर बजटिंग, महिला कल्याणकारी योजनाएं, निर्वाचित/नामित प्रतिनिधि की भूमिका, पेय-जल, स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है। इन विषयों की जानकारी प्रख्यात विद्वानों एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा बहुत रोचकपूर्ण ढंग से दी जा रही है। पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों की महिला पदाधिकारियों के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम किए जा चुके हैं।

ये प्रशिक्षण कार्यक्रम 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जैसे जम्मू-कश्मीर में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम संस्थाओं के सहयोग से बहुत सफलतापूर्वक संचालित हुए। “शी इज ए चेंज मेकर” प्रशिक्षण परियोजना बिहार,उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब , तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल तथा पूर्वोत्तर राज्यों जैसे मणिपुर, मिज़ोरम, असम, त्रिपुरा में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन प्रशिक्षणों में ग्रामीण क्षेत्रों से महिला सरपंचों/पंचों, ब्लॉक पंचायत और ज़िला परिषद की महिला चेयरपर्सन/ मेम्बर, शहरी क्षेत्रों से महिला मेयर/पार्षदों और अनुसूचित जनजाति स्वायत क्षेत्रों से महिला प्रतिनिधियों के साथ-साथ राजनीतिक दलों की महिला पदाधिकारियों की सक्रिय भागीदारी रही। प्रतिभागियों ने “शी इज ए चेंज मेकर” प्रशिक्षण को बहुत उपयोगी और लाभकारी बताया और उनके द्वारा इस प्रशिक्षण में शामिल होने का अवसर देने हेतु आयोग को आभार भी ज्ञापित किया गया।

प्रतिभागियों की तरफ से आयोग को इतने उत्साहवर्धक और सकारात्मक फीड-बैक आए कि आयोग द्वारा कई राज्यों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या में वृद्धि की गई। आयोग ने लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी, मसूरी के सहयोग से महिला विधायकों के लिए तीन प्रशिक्षण आयोजित किए; 22 से 24 जून, 2022 को धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में; 21 से 23 सितंबर, 2022 को उदयपुर, राजस्थान में और 04 से 06 फरवरी, 2023 को विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में।

इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कुल पंद्रह राज्यों (उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडू, केरल, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आसाम, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा) की महिला विधायकों ने सहभागिता की। श्रीमती आनंदीबेन पटेल, माननीय राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, सुश्री तमिलिसाई सौंदरराजन माननीय राज्यपाल, तेलंगाना एवं श्री वेंकैया नायडू, माननीय भूतपूर्व उप-राष्ट्रपति ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभागियों को अपने राजनीतिक अनुभव और नेतृत्व के हुनर साझा किए। उन्होंने खुले मन से "शी इज ए चेंज मेकर" परियोजना की जरूरत समझने, इसकी शुरुआत और सफल आयोजनों के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की सराहना की।

प्रतिभागियों को प्रभावकारी नेतृत्व, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इंक्लूसिव गवर्नेंस, जेंडर संवेदनशीलता व इंक्लूसिव कम्युनिकेशन, नेगोसिएशन, प्रभावकारी युक्ति, डिजिटल साक्षरता व सोशल मीडिया, विधायिका की कार्यवाहियों के विषय मे देश के नामचीन विद्वानों द्वारा रोचकपूर्ण ढंग से सरल और सहज भाषा मे बताया गया।

महिला विधायकों ने इस प्रशिक्षण की जरूरत समझने और इसका सफल आयोजन करने के लिए आयोग और आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा को आभार ज्ञापित किया। उन्होंने माना कि इस प्रशिक्षण द्वारा उन्हें अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की बेहतर समझ हुई है।

प्रतिभागियों के सकारात्मक फीडबैक को देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग "शी इज ए चेंज मेकर" प्रशिक्षण परियोजना का निरंतर विस्तार कर रहा हैं।

जिम्मेदारी संग नारी
भर रही उडान है,
न कोई शिकायत
न कोई थकान है।

- सुरुचि पुंज, निजी सचिव, रा.म.आ.

सबला नारी

-डॉ. निशा वाधवा

अबला नहीं,
अब पूर्ण शक्ति
का संतुलित
आधार हो तुम ।।

आँचल में केवल
नहीं ममता
सकारात्मक,प्रबल
प्रहार हो तुम ।।

बाहुबली सा
मानस लेकर
सृष्टि सृजन को
तैयार हो तुम ।।

घर में लक्ष्मी
बाहर दुर्गा
बुराई का
संहार हो तुम ।।

संभलो,
अपनी सामर्थ्य जानो
नई वर्षा की
फुहार हो तुम ।।

कोमल,कमसिन,
प्रताड़ित,निर्भर
अब ये नहीं सब
तुम्हारी फ़ितरत
सबल, सशक्त
नार हो तुम ।।

ना तुम देह, ना तुम वस्तु
फिर क्यों किसी का
व्यापार हो तुम ।।

दान दहेज,
ब्याह की ख़ातिर
विद्रोह कर सकने का
अपेक्षित सा
व्यवहार हो तुम ।।

सब कुछ भूलो
बस याद रखो
कि एक नया
अवतार हो तुम ।।

महिला आरक्षण: लोकतंत्र में बढ़ेगी महिलाओं की सहभागिता

-शिवम गर्ग,
मीडिया सलाहकार, रा.म.आ.

आज जब महिलाएं सभी क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रही हैं, समाज का नेतृत्व कर रही हैं, तब यह आवश्यक हो जाता है कि नीति-निर्धारण में भी महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका हो।

हम पिछले कुछ चुनावों के वोट प्रतिशत का आंकड़ा देखें तो पाएंगे की मतदान में महिलाओं की संख्या निरंतर बढ़ रही है, महिलाएँ आगे बढ़कर अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए अधिक संख्या में मतदान कर रही हैं, ये हर्ष का विषय तो है मगर संतोष का नहीं। महिलाएँ नेतृत्व चुनने में तो अग्रिम पंक्ति में खड़ी दिखाई दे रही हैं मगर नेतृत्व का हिस्सा बनने में अंतिम सोपान पर खड़ी दिखाई देती हैं, हालांकि वर्तमान लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या पिछली लोकसभाओं की तुलना में बढ़ी है परन्तु अभी भी यह संख्या बहुत कम है।

लोकतंत्र में महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाने के लिए महिला आरक्षण एक जरूरी कदम था। यह खुशी की बात है कि संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन) विधेयक-2023 लोकसभा व राज्यसभा में भारी समर्थन के साथ पारित हो गया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ऐतिहासिक कानून है जो महिलाओं के सशक्तिकरण को और बढ़ाएगा और राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की अधिक भागीदारी का मार्ग प्रशस्त करेगा। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या बढ़ने से न केवल राजनीतिक परिदृश्य बदलेगा, बल्कि आर्थिक गतिविधियों में महिला सहभागिता में भी वृद्धि होगी। राजनीति में महिलाओं की भूमिका बढ़ने से आने वाले समय में जीवन के हर क्षेत्र में परिवर्तन दिखाई देगा। इससे सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संदर्भों में भी समाज का उत्थान निश्चित है। आज पूरा विश्व जब महिलाओं के विकास की बात कर रहा है तब भारत महिलाओं के नेतृत्व में विकास की ओर अग्रसर है।

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा दी गई सहायता

-नेहा महाजन गुप्ता,
विशेष समन्वयक, रा.म.आ.

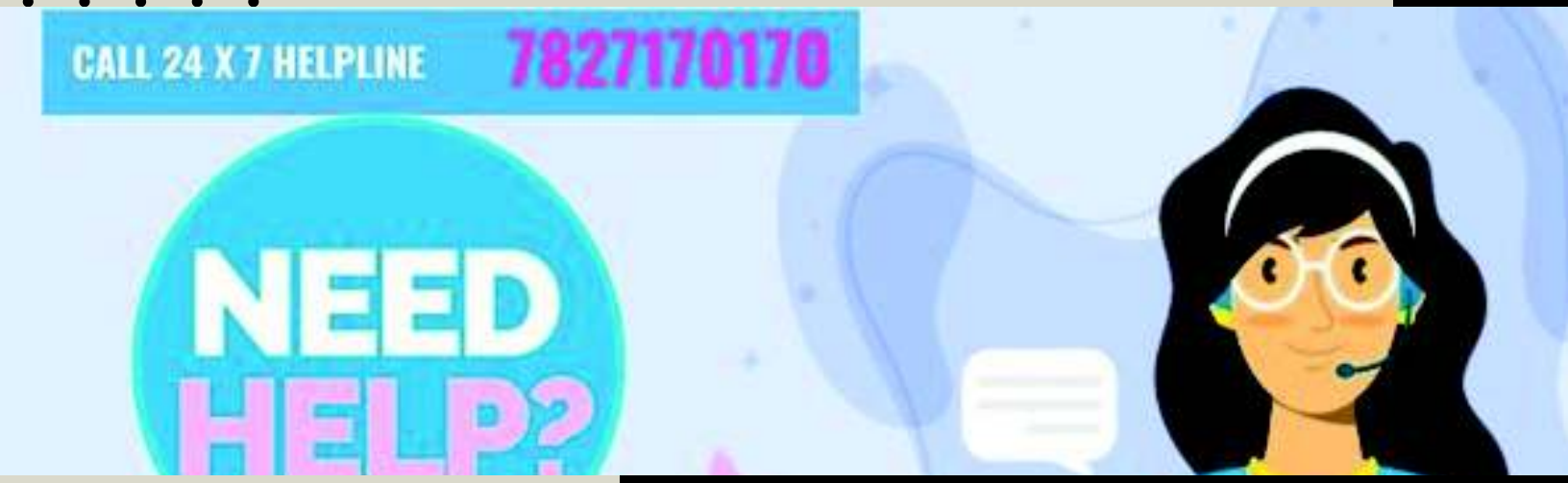

राष्ट्रीय महिला आयोग की 24x7 हेल्पलाइन नंबर के बारे में:

राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं की सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए समर्पित है और उनकी समस्याओं को सुनने एवं समाधान के लिए आयोग ने 24x7 हेल्पलाइन नंबर प्रदान किया है। महिलाएं इस हेल्पलाइन नंबर पर समस्याओं को रिपोर्ट कर सकती हैं, सलाह प्राप्त कर सकती हैं और आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकती हैं। यह हेल्पलाइन नंबर महिलाओं से जुड़े साइबर अपराधों, हिंसा, उत्पीड़न और अन्य प्रकार की समस्याओं के लिए एक साथी बनता है, जिसका उद्देश्य उनकी सुरक्षा की प्राथमिकता सुनिश्चित करना है।

अगर आपकी समस्याएं हैं, तो आप तुरंत राष्ट्रीय महिला आयोग की 24x7 हेल्पलाइन पर कॉल कर सकती हैं। 24x7 हेल्पलाइन नंबर : 7827170170.

24x7 हेल्पलाइन की मदद से नीचे उल्लिखित मामलों में पीड़ितों की सहायता की गई:-

मानव तस्करी

केस की पीड़िता एक 16 वर्षीय लड़की है जिसे उसके घर से ज़बरन जम्मू-कश्मीर ले जाया गया था। वर्तमान में वह शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे हैं।

पिछले 8 वर्षों के दौरान उसका संपर्क कभी भी अपने माता-पिता के साथ नहीं हो सका और वह अपने खोए हुए परिवार से वापस जुड़ना चाहती थी इसलिए उसने रा.म.आ हेल्पलाइन पर कॉल की।

रा.म.आ हेल्पलाइन ने पीड़िता की मदद करने के लिए दक्षिण 24 पगरानस, पश्चिम मेदिनीपुर, हुगली और सुंदरबन के एसएसपी से संपर्क किया।

रा.म.आ के सार्थक प्रयासों की वजह से पीड़िता के परिवार की पहचान हो सकी एवं वह उनसे वापस जुड़ने में सक्षम हो सकी।

बच्चों की निगरानी

पीड़िता ने उत्तर प्रदेश के बागपत से रा.म.आ को फोन कर बताया कि वह घरेलू परेशानी के कारण अपने माता-पिता के घर पर है और उसका पति उसके सात महीने के बच्चे को जबरन ले गया।

रा.म.आ हेल्पलाइन ने ओएससी और बागपत, उत्तर प्रदेश के एस.एच.ओ. तथा पुलिस स्टेशन की बाल कल्याण समिति से संपर्क किया एवं उनकी मदद से बच्चा पीड़िता को वापस मिल गया

राजस्थान के जयपुर शहर के बस्सी से एक पीड़ित महिला की कॉल प्राप्त हुई।
पीड़ित के साथ अज्ञात लोगों ने मारपीट की और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी।
रा.म.आ हेल्पलाइन ने SHO बस्सी, जयपुर राजस्थान से संपर्क किया और एक एफ.आई.आर दर्ज की गई और उचित कार्रवाई की गई।

एक सच्ची कहानी - सौम्या की

-कामिनी मिश्रा
चयनित प्रतिभागी (My Gov) पंजीकरण संख्या - 130827051,

ये कहानी है 'सौम्या' की, 'सौम्या' नाम में जितनी सौम्यता, स्वभाव में उतनी ही चंचलता। नौ वर्षीय साँवले रंग की छोटी सी एक लड़की। सौम्या अभी हाल ही में हमारे पड़ोस में किराये के एक घर में अपने परिवार के साथ रहने आई थी।

उसके पिता एक ड्राइवर हैं और माँ भी एक फैक्ट्री में काम करने जाती है। एक पल को मैं सौम्या में खुद को देखने लगी क्योंकि मुझे भी माँ इसी तरह छोड़कर काम पर जाया करती थी।

एक दिन जब वो मेरे घर कुछ खाने को माँगने आई तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ लेकिन खुशी भी हुई। बच्चों की इसी निश्छलता से इन्हें भगवान का स्वरूप माना जाता है। मैं उसे खाना खिला ही रही थी कि अचानक सौम्या की आँखें भर आई। मैं समझ नहीं पाई। सोचा खाने में मिर्ची लगी होगी बच्चे को। जब मैं तुरन्त पानी लेकर आई तो सौम्या ने अपनी तुतलाती जुबाँ से कहा ''दीदी, अम्मा ने खाने को ना दो जा से तुमसे माँग के खाए रहे।''

इसी वाक्य से उसकी कहानी शुरू होती है। तत्काल मैंने उसके आँसू पोंछे और उसके खाने का इंतज़ार किया ताकि आराम से उसकी कहानी सुन सकूँ। सौम्या ऐसे खा रही थी जैसे आज से पहले कभी उसने भर पेट खाना न खाया हो। खाना खाते ही मेरे सवालों का पहाड़ उस नन्हीं बच्ची पर टूट पड़ा। उसके जीवन में घटी विषम परिस्थितियों ने कैसे उसके जीवन को प्रताडित किया होगा, मैं समझ गई थी। मैंने कहा मैं जान गई हूँ, तुम इतनी प्यारी बच्ची हो, जरूर बहुत आगे जाओगी।

इतनी सी उम्र में ही उसे ज्ञान का अमूल्य उपहार मिला था। इस उम्र में जहाँ बच्चे अक्षरों और मात्राओं की पहचान करना सीखते हैं, सौम्या इन अक्षरों के संसार में गोता लगाकर कहानियाँ बयाँ करना सीख चुकी थी।

ये नवरात्रों की सुबह थी। आज छोटी सी सौम्या में मानो साक्षात् देवी का स्वरूप नज़र आता था। लाल रंग की फ्रॉक पहने अपने नन्हे पैरों में बंधी पायल की झंकार बजाती सौम्या को आज तो खाने की कमी बिल्कुल नहीं होने वाली थी। आज कई घर उसे कन्या खाने को बुलाते थे। हर घर से थोड़ा-थोड़ा सा कन्या भोजन कर वो पूरी पत्तल अपनी माँ के लिये बचा लाती थी। मैं बरामदे पर बैठी उसकी मासूमियत को देखकर मुस्कुराए जा रही थी। जब उसने मोहल्ले के हर घर में कन्या भोजन कर लिया तो भागी-भागी वो मेरे पास आई। "दीदी, आज मैंने 60 रुपये कमाओ" - अपनी छोटी-सी मुट्ठी में दबाए नोटों को खोलते हुए वो बोली। मैंने कहा "क्या करोगी इन पैसों का?" उसका जवाब सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा "दीदी, मोहे पढ़नों है। मोहे कापी खरीद दौ।"

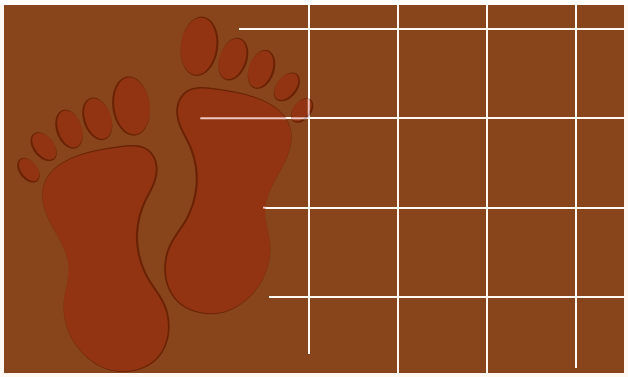

ये केवल एक वाक्य भर नहीं था, कन्या के रूप में सजी सौम्या से मानो साक्षात् देवी के स्वर स्फुटित होते थे। तुरन्त उसका हाथ पकड़ मैं उसे कॉपी, पेंसिल, रबर बाकी चीजें खरीदने दुकान ले गई, मैं उसे पढ़ाने लगी। अब वो अक्सर मेरे घर खाना माँगने नहीं बल्कि होमवर्क माँगने आया करती थी। पढ़ने के जुनून ने उसकी भूख मिटा दी थी। लेकिन फिर भी मैं उसे खिला भी दिया करती थी। एक दिन अचानक सब्र टूट गया। सौम्या रोते हुए मेरे घर आई। उसके पापा ने उसकी कॉपी फाड़ दी थी और उसे ये धमकी भी दी थी कि अगर आज के बाद उसे पढ़ते देखेंगे तो उसकी जान ले लेंगे।

मुझे बहुत गुस्सा आया मैं सौम्या के घर गई। वहाँ का दृश्य मुझे भीतर तक तोड़ गया। मैंने पुलिस को बुलाने के लिये तुरन्त अपना फोन निकाला तो उसकी माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसकी माँ को समझाने की हर संभव कोशिश की लेकिन उसकी माँ नहीं मानी। सौम्या के पिता घर से सभी मँहगा और जरूरी सामान लेकर भाग गए थे। सौम्या, उसकी माँ और उसके दोनों भाई एक बार फिर बेसहारा हो गए थे। सौम्या की माँ बस रोए जा रही थी। मैंने अपनी माँ को बुलाया। माँ ने खाना बनाया, उन सबको खिलाया। उन्हें सांत्वना दी और साथ ही उन्हें भी समझाया कि अपनी आवाज उठाकर इंसाफ माँगना गलत नहीं है। हम सब एक साथ हैं।

सौम्या की माँ ने अब आत्म निर्भर होने का अर्थ और महत्व दोनों को समझ लिया है। उन्होंने फिर से फैक्ट्री जाकर काम करना शुरू कर दिया है। सौम्या भी अब फिर से पढ़ने लगी है। मैं गर्व से कह सकती हूँ कि जिस तरह पर्वतारोहण करने वाली 'अरुणिमा' ने अपना लक्ष्य हासिल कर हम सबको प्रेरित किया था उसी तरह हम में बढ़ती अरुणिमा भी एक दिन जरूर सफल होगी। मुझे इस देश की प्रत्येक बालिका में बसती अरुणिमा पर गर्व है।

आज, सौम्या का परीक्षा परिणाम आने वाला था, पता नहीं क्यों मैं और मेरी माँ, दोनों ही वहुत चिन्तित थे यह जानते हुए भी कि वह अच्छे से पढ़ रही है। अचानक हम दोनों की नज़र पड़ी, सौम्या आँसूं पोंछती हुई धीरे-धीरे चली आ रही थी। मैं घबरा रही थी, इतने में वह मेरे पास आई और मुझसे लिपटते हुए बोली दीदी, हम फर्स्ट आ गए हैं , हमारी टीचर और प्रिंसीपल ने कहा है तुम्हारी मेहनत से हम बहुत खुश हैं, मेरी पढ़ाई और खान-पान का खर्चा अब से वो ही उठाएंगे, दी.....दी। सौम्या की मेहनत और सुंदर स्वभाव की भावी तस्वीर मेरे सामने आ गई।

आज मुझे पता चल गया, हम सबमें एक अरुणिमा रहती है। ज़रूरत है तो केवल उसे पहचानने की। उस शक्ति से आत्मनिर्भर बनने की, आगे बढ़ने की और हर परिस्थिति में, हर चुनौती का डटकर सामना करने की।

हम आशा करते हैं हम सब में बसी अरुणिमा ही नहीं कठिन परिस्थितियाँ आने पर उनका बहादुरी से सामना करने वाली मेरी जैसी कम उम्र में जीवन-यापन के रास्ते निकाल पाने वाली युवतियाँ भी औरों के जीवन-यापन का रास्ता निकाल सकती हैं। सौम्या की ये कहानी हर बालिका को जीवन की हर कठिन परिस्थिति में अपना जुनून जिंदा रखने की प्रेरणा देगी।

“माँ की यादें”

-आशुतोष पांडे,
अवर सचिव, रा.म.आ

माँ, मैं आज भी याद करता हूँ
तुम्हें, बहुत उम्मीद के साथ पास पाता हूँ
वो 9 फरवरी की सुबह, जब तुम मेरे साथ थी
मगर अगले पल ही सिर्फ एक एहसास थी

आज मैं जब भी याद करता हूँ
वो बचपन के दिन
जब तुम मेरा हाथ थामे
स्कूल, पार्क, बाजार ले जाती थी
जीवन की सच्चाई शुरु से ही सिखलाती थी

वो हिन्दी की कविताएँ और कहानी
बड़े ध्यान और प्यार से याद करवाती थी
क्या महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान और
हरिवंशराय बच्चन
उनसे तुम अपनों की तरह मिलवाती थी

मुझे तुम बहुत याद आती हो
जब कोई खास दिन होता है
सुबह से ही फोन बजने का इंतजार रहता है
जब तुम करती थी तो समय नहीं होता था

आज समय है तो तुम नहीं हो
वो तुम्हारे सवालों का जवाब देना
जो तब बड़े भारी लगते थे
आज जवाब हैं पर कोई सवाल नहीं
मैं आज भी याद करता हूँ
तुम्हारा छोटी-छोटी बातों पर खुश हो जाना
आज लगता है वो कितनी बड़ी बात थी
खुशी तुम्हारे चेहरे की पहचान थी
सबके जीवन की आस थी

आज तुम सिर्फ एक एहसास हो
तस्वीर में बंद एक आभास हो
मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ
काश, तुम मेरे पास हो

महिला सशक्तिकरण

-अतुल सिन्हा
वरिष्ठ प्रोग्रामर, रा.म.आ.

"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः।।"
-मनुस्मृति

भारतवर्ष, जहाँ आदिकाल से ही नारियों को देवतातुल्य माना जाता रहा है और ऐसा कहा जाता है कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ स्वयं देवता वास करते हैं तथा जहाँ नारी का सम्मान नहीं होता है, वहाँ सारे कार्य निष्फल होते हैं।

हमारा देश प्राचीन काल से ही भारत की विदुषी महिलाओं के लिए प्रख्यात था। वैदिक काल में ज्ञान के क्षेत्र में गार्गी, मैत्रेयी जैसी विदुषी महिलाएँ हुई तो निकट इतिहास में शौर्य के लिए जीजाबाई, अहिल्या देवी होलकर, रानी लक्ष्मीबाई जैसी महिलाएं। हमारी संस्कृति में धन, वैभव व शक्ति प्रदान करने वाली देवियों की पूजा-अर्चना की जाती है फिर ऐसा क्या हुआ कि वर्तमान में हमारे देश में नारियों की स्थिति और उनके वैभव का इतना ह्रास हो गया कि सरकारों को नारी सशक्तिकरण योजनाएँ बनानी पड़ रही हैं। स्त्री व पुरुष किसी भी समाज के दो मूल स्तम्भ रहे हैं और समाज का जो विकसित स्वरूप आज हमें दिखाई पड़ता है वह इन दोनों के ही संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के उत्तरोत्तर विकास में हम लैंगिक समानता को पीछे छोड़कर एक पुरुष प्रधान समाज की स्थापना कर बैठे, जिससे हमारे समाज की आंतरिक संरचना का ताना-बाना हिल सा गया प्रतीत होता है।

महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता

पूर्व में महिलाओं की दशा बहुत संतोषजनक नहीं थी, मगर अब उसमें थोड़ा सुधार आ रहा है। इस काल के पुरुष प्रधान समाज ने महिलाओं को भोग का विषय बना दिया था, उन्हें घरों में कैद करके उनकी शिक्षा-दीक्षा को समाप्त कर दिया गया था। किन्तु अब शिक्षा के प्रचार-प्रसार से यह सोच दृष्टिगोचर हुई है कि एक स्वस्थ समाज की स्थापना तब तक नहीं की जा सकती जब तक समाज में लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता रहेगा, लैंगिक समानता ही स्वस्थ समाज की परिभाषा है।

वर्तमान वस्तुस्थिति से महिलाओं को उबारने के लिए महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता है। उन्हें समाज में बराबरी का स्थान दिलाने की जिम्मेदारी सरकार एवं नागरिकों, दोनों की ही है।

उपरोक्त वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्न प्रकार के सशक्तिकरण की आवश्यकता है:

1. शैक्षणिक सशक्तिकरण – महिलाओं को सशक्त करने में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, शिक्षित नारी ही घर पर एक शिक्षित परिवार की आधारशिला हो सकती है क्योंकि पढ़ी-लिखी लड़की रोशनी घर की। शिक्षित नारी देश के विकास में बड़ा योगदान प्रदान कर सकती है और कर भी रही है। इसीलिए सरकार ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना आरम्भ करके भारतीय नारी की शिक्षा की उपलब्धता को सुगम करने का कार्य किया हैं और वह नारी शिक्षा दर को बढ़ाने के लिए कटिबद्ध भी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लिंग-भेदभाव से प्रेरित गर्भपात जैसी सामाजिक बीमारियों से बालिकाओं को बचाना है और पूरे देश में बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है।

2. शारीरिक व मानसिक सशक्तिकरण– भारतीय नारी को देश के विकास में ईंधन की तरह तभी प्रयोग किया जा सकता है जब वह मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ होगी।

क) सरकार ने सबला योजना द्वारा पोषण अभियान के माध्यम से किशोरियों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने का कार्य किया है जिसके तहत आयरन एवं फॉलिक एसिड प्रतिपूरक, विटामिन आदि दवाएँ दी जा रही हैं। किशोरियों की तीन माह में कम से कम एक बार किसी विशिष्ट तिथि को सामान्य स्वास्थ्य जाँच की जाएगी, जिसे किशोरी दिवस कहा जाता है। इस दिन चिकित्सा पदाधिकारी/ एएनएम द्वारा किशोरियों को आवश्यकता अनुसार कृमि निवारण दवा देंगे और किशोरियों की लम्बाई एवं वजन की माप की जाएगी। प्रत्येक बालिका का किशोरी कार्ड तैयार किया जाएगा तथा प्रमुख मानकों को चिन्हित कर रखा जाएगा।

ख) प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना - सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर करने के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, जिसमें नवजात शिशु और उसकी माता को कुछ आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत सरकार की ओर से पहला बच्चा होने पर रुपए 5,000/- की धनराशि दी जाती थी लेकिन अब खुशी की बात यह है कि दूसरी संतान बेटी होने पर भी सरकार की ओर से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत रुपए 6,000/- की राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। लाभार्थी महिलाओं को इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। शिशु के जन्म से 270 दिन के अंदर ही लाभ प्राप्त करने हेतु पंजीकरण कराया जा सकता है।

ग) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना - हमारे देश में आज भी कई घर ऐसे हैं जिनके पास रसोई गैस उपलब्ध नहीं है जिसके कारण उनको बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। लकड़ी व कोयला जला कर चूल्हे पर खाना बनाने से महिलाओं को धुएँ के संपर्क मे रहना पड़ता है जिससे इनके स्वास्थ्य और फेफड़ों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की जिससे ग्रामीण महिलाओं को चूल्हे के धुएँ से बचाकर उनका स्वास्थ्य सही रखा जा सकता है। इस योजना के माध्यम से देश की एपीएल, बीपीएल तथा राशन कार्ड धारक महिलाओं को रसोई गैस उपलब्ध करवाई जाती है। इस योजना का संचालन केंद्र सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा हैं।

3. आर्थिक सशक्तिकरण – आर्थिक सशक्तिकरण होने से महिलाओं में निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। यदि वह आर्थिक रूप से किसी पर भी निर्भर नहीं हो तो वह अपने अच्छे-बुरे का निर्णय स्वयं ले सकती है।

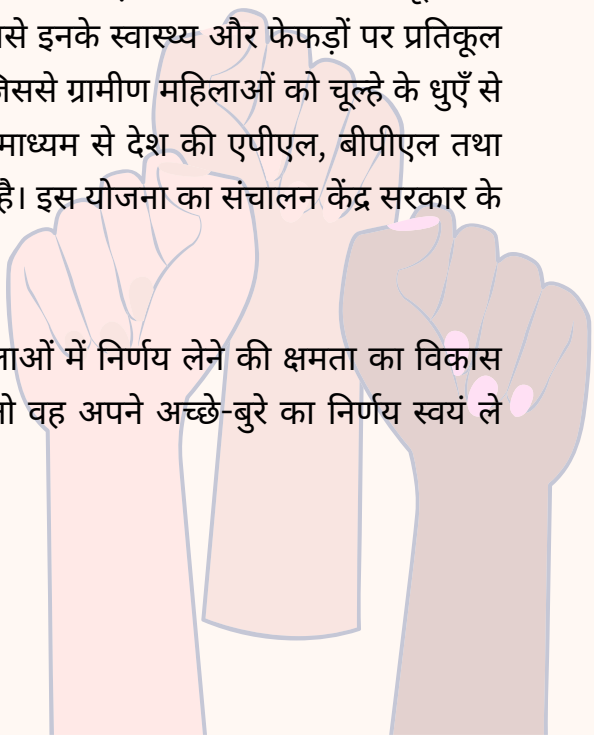

4.आर्थिक सशक्तिकरण एवं विकास के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित योजनाएँ चलाई जा रही हैं-

क)स्वाधार गृह योजना – यह योजना वेश्यावृत्ति से मुक्त महिलाओं, रिहा कैदी, विधवा, मानव तस्करी की पीड़िता, मानसिक रूप से विकलांग बेसहारा महिलाओं एवं घरेलू हिंसा, पारिवारिक विवाद या तनाव पीड़ित महिलाओं के पुर्नवास की व्यवस्था करती है। ऐसी महिलाएं स्वाधार गृह मे अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक रह सकती हैं।

ख)महिलाओं का कौशल विकास – (STEP) इस योजना में महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना महिलाओं को स्वरोजगार की ओर उन्मुख करने के लिए उन्हें व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है।

ग)वर्किंग वुमेन होस्टल – सरकार ने महिलाओं के लिए वर्किंग वुमेन होस्टल का निर्माण करा कर अपने गृह जिले से दूर रहकर काम करने वाली महिलाओं के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। इस योजना के अंतर्गत कोई भी कामकाजी महिला 3 साल तक होस्टल की सुविधा एक न्यूनतम राशि दे कर ले सकती है। सरकार के द्वारा कुछ विशेष परिस्थितियों में ही महिलाओं के लिए छात्रावास में रहने की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। इस योजना के तहत वो महिलाएं भी छात्रावास में रह सकती हैं जो रोजगार के लिए प्रशिक्षण ले रही हैं।

घ)प्रधानमंत्री जन-धन योजना – यह योजना महिलाओं को बैंक के करीब लाती है, जिसके द्वारा वह अपनी बचत को सुरक्षित रख सकती है। इस योजना में जीरो बैलेंस के साथ खाता खोला जा सकता है। यह योजना वित्तीय सेवाओं जैसे की बैंकिंग/बचत तथा जमा खाते, विप्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित करती है।

ङ)प्रधानमंत्री मुद्रा योजना – इस योजना के तहत महिलाओं को आसान ऋण उपलब्ध है, जिससे वह अपने छोटे रोजगार को बढ़ाकर देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दे रही हैं। इस योजना के अंतर्गत लघु एवं सूक्ष्म व्यवसाय उद्यमों के लिये 10 लाख रुपए तक संपार्श्विक-मुक्त संस्थागत ऋण प्रदान किया जाता है। संपार्श्विक-मुक्त ऋण बिना किसी गारंटी के उधारकर्ता को दिया जाने वाला ऋण है। सरल शब्दों में इसका मतलब है कि आप किसी ऋणदाता से एक निश्चित ब्याज दर पर पैसे उधार ले सकते हैं, भले ही आपके पास गिरवी रखने या निवेश करने के लिए कुछ भी न हो।

च)सुकन्या समृद्धि योजना – यह योजना 10 साल से कम उम्र की लड़कियों/बच्चियों की उच्च शिक्षा और शादी के लिए है यानी लड़कियों के सुरक्षित भविष्य के लिए यह बचत योजना है। किसी भी बैंक और पोस्ट ऑफिस में 10 साल से कम उम्र की बेटी के लिए अकांउट खुलवाया जा सकता है। स्कीम पूरी हो जाने के बाद सारा पैसा उसे मिलेगा, जिसके नाम पर अकांउट को खुलवाया होगा।

च)सुकन्या समृद्धि योजना – यह योजना 10 साल से कम उम्र की लड़कियों/बच्चियों की उच्च शिक्षा और शादी के लिए है यानी लड़कियों के सुरक्षित भविष्य के लिए यह बचत योजना है। किसी भी बैंक और पोस्ट ऑफिस में 10 साल से कम उम्र की बेटी के लिए अकांउट खुलवाया जा सकता है। स्कीम पूरी हो जाने के बाद सारा पैसा उसे मिलेगा, जिसके नाम पर अकांउट को खुलवाया होगा।

छ)महिला शक्ति केंद्र- सरकार द्वारा यह कार्यक्रम 2017 में कौशल विकास सहायता, डिजिटल साक्षरता, और रोजगार प्रदान करके महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया था। प्रत्येक शक्ति केंद्र (राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर) ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से लाभ प्राप्त करने के लिए एक सुगम अवसर प्रदान करता है।

केंद्र सरकार के अलावा अन्य राज्य भी अपने स्तर पर विभिन्न महिला संबन्धित योजनाओं को चलाकर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। हरियाणा की लाडली योजना, मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना, कर्नाटक की भाग्यश्री योजना, महाराष्ट्र सरकार की माज़ी कन्या भाग्यश्री योजना, पश्चिम बंगाल की कन्याश्री प्रकल्प योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा मे एक सकारात्मक पहल है।

महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं किन्तु एक नागरिक के रूप मे हम सभी का यह कर्तव्य भी बनता हैं कि हमें अपने परिवार, आस-पास और समाज मे हो रहे किसी भी तरह के लैंगिक भेदभाव का पुरजोर विरोध करना है और अपनी यथासंभव क्षमता और सामर्थ्य से नारी सशक्तिकरण का समर्थन करना है और सदैव प्रयत्नशील रहना है, क्योंकि जब सशक्त होगी नारी तो बनेगा राष्ट्र सशक्त। इस विचारधारा से ही देश का कल्याण सम्भव है तथा लैंगिक भेदभाव मिटाकर ही सशक्त नारी और सशक्त राष्ट्र का निर्माण होगा।

पुरुष नहीं है वो जो महिला पर हाथ उठाए,
जो नारी को सशक्त करे वही पुरूष कहलाए।

स्वतंत्रता दिवस समारोह

राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रांगण में, समस्त राष्ट्रीय महिला आयोग परिवार की उपस्थिति में 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहरा कर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर श्रीमती रेखा शर्मा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग ने संदेश दिया कि

"यह स्वतंत्रता दिवस हमारे देश और देशवासियों के लिए विशेष है। हम उस कालखंड में हैं, जब आने वाले 25 वर्ष हमारे देश के लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण होंगे। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं देश की सभी महिलाओं का आह्वान करती हूँ कि देश के विकास में न सिर्फ आपकी सहभागिता हो, बल्कि आपके नेतृत्व में विकास की नई परिभाषा लिखी जाए। नीति निर्माण से लेकर समाज में उन नीतियों के क्रियान्वयन तक आपकी भागीदारी हो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि महिलाएँ पहले से भी अधिक ऊर्जा और संकल्पों के साथ भारत की तरक्की के लिए कार्य करेंगी।"

कुछ बदला है, कुछ बदलना है

तनवी मित्तल
चयनित प्रतिभागी (My Gov) पंजीकरण संख्या - 130878991,

वक्त-वक्त की बात है और हर एक वक्त में बदलाव है,
कल तक दबा कर रखा जिसे, आज वो उड़ती हुई जान है।
सीख रही है खुद को सामने रखना, खुद के लिए बोलना और लड़ना ।
कर रही है खुद को मजबूत, क्योंकि आगे उसे बहुत है बढ़ना।

दूसरों के लिए जीने वाली, खुद के लिए जीने लगी,
दूसरों के फैसलों पर चलने वाली, खुद के फैसले लेने लगी।
कल तक जो कदम घर तक सीमित थे, आज बाहर निकलते हैं,
कल तक आँखों में बसे सपने, आज पूरा होते दिखते हैं।

अब भी बहुत कुछ बदलना है, कुछ बदला है,
और कुछ और बदलना है।

बहुत कुछ है जो आज भी वही है
जो पहले हुआ करता था।
एक लंबा सफ़र अब भी तय करना बचा है।
बचा था लोगों की सोच में बहुत बड़ा बदलाव,
जिसके चलते बहुत कुछ सुधरना बचा था।

वक्त वक्त की बात है,
और वक्त की ये खास बात है।
हर वक्त में कुछ बदला है,
और कुछ बदलने की आस है।

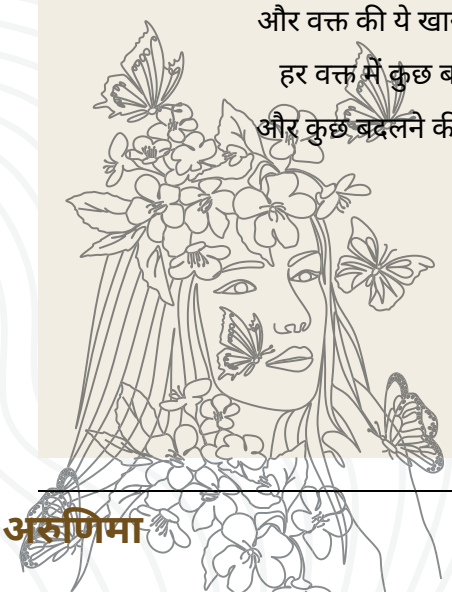

पिता का सपना

-सुदर्शन कुमार शर्मा,
परामर्शदाता, रा.म.आ

शाम हो गई अभी तो घूमने चलो न पापा
चलते चलते थक गई कंधे पर बैठा लो न पापा
अंधेरे से डर लगता है सीने से लगा लो न पापा
मम्मी तो सो गई

आप ही थपकी देकर सुलाओ न पापा
स्कूल तो पूरा हो गया
मुझे अब कॉलेज आपने भेजा है पापा
आपने अपने पैरों पर खड़ा होना
सिखलाया मुझे

अब आसमान में उड़ते हुए देखो पापा
आज देश कल विदेश में मुझे बुलंदियाँ छूते देखो पापा
आपने मुझे एक बीज से पेड़ बनते हुए सींचा
अब आपके मुस्कराने का समय है पापा

विकास का दौर

-कुमारी स्मृति
चयनित प्रतिभागी (My Gov) पंजीकरण संख्या - 130860451

विकास का अर्थ है देश की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उन्नति। कहने के लिए यह केवल तीन क्षेत्र हैं लेकिन यह इतने विस्तृत हैं कि इनमें से किसी एक को भी सफलतापूर्वक प्राप्त करना एक कठिन चुनौती है। यही कारण है कि हमारा देश अभी विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। यदि हमें विकासशील से विकसित देश बनना है तो हमें आवश्यकता होगी एक उचित नीति और उस नीति के निष्पादन के लिए एक भरोसेमंद और योग्य नेतृत्व की। योग्यता का अर्थ केवल शैक्षिक योग्यता नहीं अपितु मानसिक योग्यता भी है जिसके अंतर्गत सकारात्मकता, तनाव प्रबंधन, निर्णायकता एवं धैर्य जैसे अनेक पहलू आते हैं। यद्यपि पुरुष और महिला दोनों में यह गुण मौजूद हैं फिर भी महिलाएँ तनावपूर्ण स्थिति को पुरुषों से बेहतर सँभाल पाती हैं जिसकी पुष्टि कैलिफ़ोर्निया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने भी अपनी रिपोर्ट में की है जो वर्ष 2000 में प्रकाशित हुई थी। इस व्यावहारिक विशिष्टता का संबंध महिलाओं में पाए जाने वाले हार्मोन ऑक्सीटोसिन और एस्ट्रोजेन से है। अगर प्रकृति ने महिलाओं और पुरुषों को मानसिक और शारीरिक रूप से अलग बनाया है तो किसी कारण से ही बनाया है।

एक महिला सृजन और पालन दोनों में समर्थ होती है। पुरुष जाति की उत्पत्ति भी स्त्री से ही हुई है और भला कोई रचना रचनाकार से बेहतर कैसे हो सकती है। यह केवल कहने की बातें नहीं बल्कि महिलाओं और पुरुषों के बीच बेहतर नेतृत्व को लेकर किए गए शोधों का निष्कर्ष भी है। महिलाएँ कुशल गृहिणी से लेकर कुशल गृह मंत्री होने तक का सामर्थ्य रखती हैं। परिवार के लिए रोटियाँ बनानी हो या देश के लिए नीतियाँ, महिलाओं का कोई जोड़ नहीं है। घर से बाज़ार तक और देश से विदेश तक महिलाएँ सारे कार्यों का संपादन कर सकती हैं।

अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीति को सँभालना स्त्रियों के लिए कोई नया काम नहीं है बल्कि यह कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनमें उन्हें ना जाने कितना पुराना अनुभव है। दिए गए पैसों में घर कैसे चलाना है यह भला महिलाओं से बेहतर कौन जान सकता है। किसी महीने अगर किसी कारणवश घर खर्च के पैसे थोड़े कम बचे फिर भी घर में कोई काम नहीं रुकता। यह कोई जादू या चमत्कार नहीं बल्कि गृहिणियों के द्वारा बनाई गई आर्थिक योजना और उसके आधार पर किए गए निधि वितरण का नतीजा है। कब, कहाँ, कितने पैसे खर्च करने हैं यह निर्भर करता है ज़रूरतों पर, इन्हीं ज़रूरतों को ध्यान में रख कर एक विस्तृत सूची बनाना ही है आर्थिक योजना बनाना और उस योजना के अनुसार दी गई ज़रूरतों के लिए पैसे अलग करने की प्रक्रिया है निधि वितरण। यह दोनों कार्य महिलाएँ सहजता और निपुणता से कर सकती हैं और इसका सजीव उदाहरण हैं हमारी तत्कालीन वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जिन्होंने कोरोना वायरस के काल में देश की अर्थव्यवस्था को बिखरने नहीं दिया। उस विषम परिस्थिति में उनके द्वारा किया गया हर एक प्रयास सराहनीय है। कोरोना महामारी में जीडीपी गिरना तो निश्चित ही था लेकिन यह माननीया वित्त मंत्री की अपने कार्य-क्षेत्र में दक्षता का ही परिणाम है कि आर्थिक संकुचन अनुमानित 7.3 प्रतिशत से कम था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार भारत विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और इस उपलब्धि का श्रेय श्रीमती निर्मला सीतारमन जी को जाता है।

बात करें सामाजिक विकास की तो उसमें भी महिलाओं की एक अहम् भूमिका है। सामाजिक विकास का अर्थ है देश के सभी लोगों का सर्वांगीण विकास ताकि वह अपनी शीर्षतम क्षमता को प्राप्त कर देश के विकास में भागीदार बनें। सामाजिक विकास में आता है लोगों द्वारा निवेश, ना केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी ताकि एक समाज, एक राज्य और अंततः एक देश के लोगों की सोच विकसित हो और वे किसी बिंदु पर रूढ़िवादी होकर नहीं बल्कि ग्रहणशील होकर सोच सकें। विकसित सोच की नींव बचपन में ही रखी जाती है, जब एक व्यक्ति का मस्तिष्क कच्ची मिट्टी की तरह होता है जिसे कोई भी आकार दिया जाए वह उसमें ढ़ल जाता है। इसमें सबसे अधिक योगदान एक माँ का होता है जिसे एक बच्चे की पहली शिक्षक' कहा जाता है। शुरुआत से ही सही शिक्षा देना सामाजिक विकास की पहली सीढ़ी है। इसके बाद सबसे बड़ी भूमिका है विद्यालय की जहाँ बाकी का विकास होता है। आँकड़ों के अनुसार विद्यालयों में 50 प्रतिशत से अधिक शिक्षक महिलाएँ हैं अतः सामाजिक विकास के लिए महिलाओं का योगदान प्रधान एवं अत्यावश्यक है। महिला समाज सुधारकों की बात करें तो हमारे दिमाग में कई नाम आते हैं जैसे अरुणा राय जी जिन्होंने 2005 में 'सूचना का अधिकार अधिनियम स्थापित करने में मुख्य योगदान दिया था या फिर भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी जी जिन्होंने अपने कार्यकाल में महिलाओं के विरुद्ध किए जाने वाले अपराधों में उल्लेखनीय कमी की थी या एसिड अटैक पीड़िता लक्ष्मी अग्रवाल जी जिनके अथक प्रयास के कारण 2013 में उच्चतम न्यायालय ने फैसला जारी किया जिसके अंतर्गत तेज़ाब की बिक्री पर नियंत्रण करना और एसिड अटैक पीड़िताओं को मुआवज़ा देना शामिल था। इस सूची में कई ऐसी महिलाओं के नाम हैं जिनके प्रयासों से समाज का अत्यंत विकास हुआ है और अगर महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को प्रोत्साहन और सराहना मिलती रही तो भविष्य में भी सामाजिक उन्नति के क्षेत्र में हमारा राष्ट्र नित नई ऊँचाइयों को प्राप्त करेगा।

राजनीतिक विकास को राष्ट्रीय एकता और राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और सभी लोगों को एक साथ लेकर कैसे चलना है यह महिलाओं को भली-भाँति पता है। किसी व्यक्ति विशेष को बिना कोई कष्ट दिए विकास को गति प्रदान करना निःसंदेह एक कठिन चुनौती है लेकिन महिलाएँ इस चुनौती को हाथ में लेने से कभी पीछे नहीं हटी हैं और ना ही भविष्य में कभी हटेंगी। महिलाओं की किसी काम को लेकर दृढ़ता और संकल्प शक्ति अद्वितीय है और महिला-शासित निकायों की बढ़ती लोकप्रियता का कारण भी हैं। एक ग्राम पंचायत की मुखिया होने से लेकर देश की राष्ट्रपति होने तक महिलाएँ हर एक राजनीतिक पद को सँभालने की क्षमता रखती हैं और समय दर समय वे अपने कार्यों द्वारा अपनी काबिलियत को साबित भी करती हैं। उदाहरण स्वरूप हम भारत की भूतपूर्व विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी को ले सकते हैं। 1998 में दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री से लेकर 2019 में विदेश मंत्री होने तक उन्हें जो भी कार्यभार दिया गया उसे उन्होंने सर्वोत्तम तरीके से करने का प्रयत्न किया और सफल भी हुईं। उन्होंने सोशल मीडिया का सराहनीय उपयोग करते हुए अन्य देशों में किसी भी कारणवश फँसे ना जाने कितने भारतीय लोगों की मदद की और इसी कारण वह सबसे सुलभ कैबिनेट मंत्री भी कही जाती थीं। साथ ही साथ अनिवासी भारतीयों को भी उनके कार्यकाल में बहुत सुविधाएँ मिलीं। उन्हें कार्य-कौशल के साथ मानवीय गुणों का एक आदर्श मिश्रण प्राप्त था जो कि उनके यश का प्रमुख कारण था। इन उदाहरणों में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का नाम अग्रिम श्रेणी में आता है। एक आदिवासी पृष्ठभूमि से आने वाली माननीया राष्ट्रपति महोदया का संघर्षपूर्ण जीवन सभी के लिए एक प्रेरणा का मूल है। अपनी इसी पृष्ठभूमि के कारण वह गरीब एवं पिछड़े वर्गों की परेशानियाँ समझती हैं और उनके उन्मूलन के लिए समुचित कदम भी उठाती हैं ताकि सभी देशवासियों के अंदर समानता का भाव आए और किसी भी व्यक्ति की आर्थिक या सामाजिक पृष्ठभूमि उसकी प्रगति में बाधा ना बने।

राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था देश के विकास को आँकने के प्रमुख पैमाने हैं लेकिन कुछ उप-पैमाने भी हैं जिनमें प्रगति होनी आवश्यक है ताकि हमारा देश पूर्ण रूप से विकसित कहा जा सके। यह उप-पैमाने हैं- खेल-कूद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी रक्षा व्यवस्था आदि और हमें यह कहते हुए गर्व महसूस होना चाहिए कि इन सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने अपना परचम लहरा दिया है। बैडमिंटन में पीवी सिंधु से लेकर भारोत्तोलन में मीराबाई चानू और मुक्केबाजी में मैरी कॉम से लेकर क्रिकेट में मिताली राज तक, महिला खिलाड़ियों की उपलब्धियों से कोई अनभिज्ञ नहीं है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भूमिका का सबसे सटीक उदाहरण हैं चंद्रयान-3 मिशन में अहम् भूमिका निभाने वाली ऋतु करिधाल जी जिनके योगदान से यह ऐतिहासिक कार्य हो पाया है। रक्षा विभाग में भी महिला रक्षाकर्मियों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। यह सब इस बात का प्रमाण हैं कि महिलाएँ जिस भी क्षेत्र में काम करें वह अपनी मेहनत और लगन से देश के गौरव में वृद्धि ही करती हैं।

महिलाओं के नेतृत्व में विकास कोई नई बात नहीं है। यह हमेशा से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में होते चला आ रहा है। ऐसी अनगिनत महिलाएँ हैं जिन्होंने देश के विकास में अपना योगदान दिया है। उनमें से कुछ ऐसी हैं जिन्हें सब जानते हैं और उनके सहयोग की चर्चा समय-समय पर होती रहती है। लेकिन वहीं कुछ ऐसी महिलाएँ भी हैं जिनका देश की उन्नति में योगदान तो भरपूर है परन्तु उनके कामों को अक्सर नज़र अंदाज़ कर दिया जाता है क्योंकि उनके कार्यों से कोई आर्थिक लाभ नहीं हो रहा होता है। यहाँ बात हो रही है गृहिणियों की जो घर के सारे कामों को अकेले सँभाल लेती हैं जिसके कारण घर के तथाकथित कमाऊ व्यक्ति निश्चिन्त होकर अपने कार्य का निर्वाह कर पाते हैं। उन महिलाओं का भी देश के विकास में उतना ही योगदान है जितना उन पुरुषों का है जो उनकी सहायता से प्रत्यक्ष रूप से विकास में योगदान देते हैं। अब समय आ गया है कि महिलाओं के विकास में योगदान को मान्यता मिले चाहे वो परदे के पीछे रहकर ही क्यों ना किया गया हो। महिलाओं के नेतृत्व के बिना एक विकसित राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है इसलिए आवश्यक है कि उन्हें उचित सम्मान दिया जाए और साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण और नेतृत्व की बागडोर उनके हाथों में दी जाए जिससे हम एक नए और बेहतर भारत की ओर अग्रसर हो सकें।

कामयाबी की सुबह

-सिमरन ठाकुर
चयनित प्रतिभागी (My Gov) पंजीकरण संख्या - 130817551

हर कदम तुझे मुश्किलें सताएंगी
तेरी परीक्षा केवल कागज पर नहीं लिखी जाएगी
कुदरत तुझे अच्छा बुरा सब दिखाएगी
कभी तेरा धैर्य तोड़ेगी, कभी तुझे मजबूत बनाएगी
तू अपने इरादों का हौसला हमेशा रखना बुलंद
एक दिन तेरी कामयाबी की सुबह जरूर आएगी।

बादलों में छिपकर भी सूरज चमकना नहीं छोड़ता
चट्टानों के आने से सरिताएं रास्ता नहीं बदलती
काली घटाएँ भी बरसकर शांत हो जाएँगी
तूफान आने के बाद भी जिंदगी फिर संवर जाएगी
जाड़े, पतझड़ की मुरझाई कलियाँ वसंत में फिर खिल जाएँगी
एक दिन तेरी कामयाबी की सुबह जरूर आएगी।

चाँद अकेला ही कभी अधूरा कभी पूरा होता है
सितारा भी अपनी आखिरी साँस तक चमकता है
चोटिल पक्षी भी उड़ने का जतन करता है
कोशिशों से ही हर जानवर का पेट भरता है
ईश्वर की दी गयी अमानत प्रयास ही तुझे सफलता दिलाएगी
एक दिन तेरी कामयाबी की सुबह जरूर आएगी।

खुदा की सबसे सशक्त रचना है तू
लक्ष्मी, सरस्वती आदिशक्ति की मूरत हूबहू
अपने भीतर की काबिलियत को कम मत आँकना
दर्द सहने की हद है तू
ज़िंदगी के कठिन समय से न डरना, न भागना
यही तेरी किस्मत को उज्जवल बनाएगी
एक दिन तेरी कामयाबी की सुबह जरूर आएगी।

धैर्य, साहस, प्रेम सब तुझमे निहित
बलिदान करती बिना सोचे अपना हित
सोच कितनी बलशाली होगी तेरी बनावट
बस तुझे खुद को है पहचानने की जरुरत
अपने दृढ निश्चय से तू जल, थल, नभ, पर्वत, सबको अपना बना जाएगी
एक दिन तेरी कामयाबी की सुबह जरूर आएगी।

> **ऑफिस कॉलेज या**
> **हो परिवार**
> **नारी से कीजिये**
> **समान व्यहवार**
> **-सर्वेश पांडे**

हां, हमें हिंदी आती है

-के पी सिंह
पूर्व संयुक्त सचिव

क्या आप हिंदी में सोचते हैं?
क्या आप हिंदी बोलते हैं?
क्या आप हिंदी में लिख पढ़ सकते हैं?
क्या आप हिंदी में काम करते हैं?
पहले तीन सवालों का उत्तर आपको अधिकतर 'हाँ' में ही मिलेगा।
चौथे सवाल का जवाब आपको 'ना' में मिलेगा क्योंकि हमें हिंदी नहीं आती।

यह दशा आपको केंद्रीय सरकार और उसके सभी संस्थानों में मिलेगी। यह सही है कि केंद्र में सरकारी कामकाज की भाषा अंग्रेजी रही लेकिन पिछले सत्तर सालों से अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को बैठाने की कोशिशें भी लगातार जारी हैं। इसकी जिम्मेदारी राजभाषा विभाग और सभी कार्यालयों के हिंदी प्रभागों को सौंप दी गई है और नतीजा हम सबके सामने है। हिंदी का प्रचार प्रसार, नियमों के पालन, खासतौर पर द्विभाषी पत्रों/ प्रपत्रों को तैयार करने, आंकड़ों की बढ़ोतरी और साल में एक बार जोर-शोर से हिंदी पखवाड़ा मनाने तक सीमित रह गया है।

असली सवाल यह है कि मूल रूप से हिंदी में कितना काम हो रहा है और ऐसी क्या मजबूरी है जो हिंदी जानने वालों को हिंदी में काम करने की प्रेरणा नही मिलती?

पहली बात तो यह है कि अंग्रेजी जानना केवल एक अन्य भाषा को ही जानना नहीं है बल्कि सम्मान की बात भी है। यह बात हमारे मन में अच्छी तरह से बैठी हुई है और बहुत सारे अवसरों पर अंग्रेजी जानना और उसको दिखाना, प्रतिष्ठा का मानदंड भी माना जाता है। नतीजा यह कि हम अपनी भाषा को न केवल कमतर आँकते हैं बल्कि उससे दूर भी होते जाते हैं।

इस मानसिकता से बाहर निकलने की आवश्यकता है।

दूसरे, हिंदी को तकनीकी शब्दावली, बारीकियों और इसके तत्सम स्वरूप की बाध्यताओं से बाहर निकालने की जरूरत है। आम बोलचाल की भाषा जो साधारणतया उपयोग में लाई जाती है, उस पर जोर दिया जाना चाहिए। हिंदी संचार का माध्यम बने। जो हम कहें, दूसरे की समझ में आए। देखा यह गया है कि कई बार हिंदी जानने वालों को ही हिंदी में ही लिखा हुआ कागज समझ नहीं आता और समझने के लिए शब्दकोष ढूंढते हैं, यहां तक कि उसका अंग्रेजी अनुवाद देखते हैं।

हिंदी कितने प्रभावी ढंग से प्रयोग में लाई जा सकती है, आप एक नजर व्यावसायिक जगत में विज्ञापनों पर डालिए, पाएंगे कि कितने स्वाभाविक ढंग से और सरलता के साथ हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है और हिंदी, व्यावसायिक कंपनियों एवं आम जनता के बीच एक शक्तिशाली माध्यम बन चुकी है। दूसरा उदाहरण आप हिंदी पत्रकारिता, टी वी चैनलों और यहां तक कि अंग्रेजी एवं दूसरी भाषाओं के चैनल, जैसे डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्रेफिक और भी बहुत सारे समाचार और मनोरंजन चैनलों ने हिंदी के स्वाभाविक एवं सरल रूप को अपना कर हिंदी भाषा को एक सशक्त संचार माध्यम बनाया है। यह अनुकरणीय है।

तीसरे, हम किसके लिए काम करते हैं? क्या हम औपचारिकतावश हिंदी में अनूदित, क्लिष्ट एवं तकनीकी शब्दावली से सज्जित पत्राचारों/ प्रपत्रों से उन लोगों तक आसानी से पहुंच पाते हैं, जिनके लिए यह सरकार और उसके विभाग काम करते हैं? हमारी जिम्मेदारी हो जाती हैं कि हम आम जनता तक उन्हीं की भाषा में उनसे संवाद करें। यह तभी संभव है जब आप आम बोलचाल और सामान्य रूप में उपयोग करने वाली भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करें।

सबसे महत्वपूर्ण यह होगा कि जितना आपको आता है, उसका इस्तेमाल तो कीजिए। शुरुआत तो कीजिए, चूंकि यह आप ही की भाषा है, थोड़े समय पश्चात, मुझे यकीन है कि आप उतनी ही आसानी से काम कर सकेंगे जैसे आप अंग्रेजी में कर रहे हैं और आपका दोनों भाषाओं पर समानाधिकार भी होगा।

आज के समय में हम पहले के मुकाबले बहुत बेहतर स्थिति में हैं। कहीं बेहतर संसाधन है हमारे पास। आईसीटी टूल्स का भरपूर इस्तेमाल कीजिए और आप पाएंगे कि यह कितना सुविधाजनक है और इसके इस्तेमाल से आप कम से कम समय में अधिक कार्य कर सकेंगे। (यह लेख भी स्मार्टफोन पर लिखा गया है)

सार यह है कि अपनी हिचक तोड़िए, और शुरू कीजिए। बस शुरू कीजिए..

धनुर्धारी

-नेहा यादव
डाटा एंट्री ऑपरेटर, रा.म.आ.

सिर्फ अर्जुन ही नहीं तुम भी धनुर्धारी हो,
नए भारत की तुम सशक्त नारी हो,
एक तीर से कई निशाने लगाती हो
घर का काम निपटा कार्यालय भी चली जाती हो ......

चूल्हा चौका तो तुम्हारे बायें हाथ का खेल है
कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड पर भी उंगलिया चलाती हो....
थोड़ी सी आलू की भुरजी बना कर बच्चों को स्कूल भेज देती हो
खुद रात वाली सब्जी लंच में ले जाती हो.......

लड़के की पढ़ाई, बहनों की लड़ाई, सब्जी भरी कड़ाही
सब देखते हुए, पति की शर्ट में बटन लगाती हो......
आसान नहीं होता संतुलन बनाना कार्यालय और घर पर
कभी पति कभी बाप कभी बॉस कभी सास
सबके ताने सुनती जाती हो.....

बिना थके बिना रुके, दुःख, सुख, हारी बीमारी में
एक पैरासीटामाल खाकर भी तुम रोटी बनाती हो.....
हजार तकलीफें , तामाम शिकवे और शिकायतें लेकर
फिर भी दुनिया के सामने हर दम मुस्कुराती हो.......

तुम स्वयं में एक संसार हो, अनंत हो,
अपार हो, तुम प्रेरणा हो संघर्ष की, सम्मान की अधिकारी हो.....
सिर्फ अर्जुन ही नहीं, तुम भी धनुर्धारी हो
नये भारत की तुम सशक्त नारी हो...

हमारी कल्पना

-ममता कुमारी
सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग

अबला से सबला बनकर देखो ।
हर हाल में तुम्हें आगे आना होगा ||
भय और चिंता से मुक्त होकर।
सशक्त, सबल कदम बढ़ाना होगा।

राष्ट्रीय महिला आयोग ढाल बनकर आया है।
महिलाओं की एक हकूक की क्षत्रप की छाया है।।
सुनी जाएगी हर व्यथा और दर्द की बातें तुम्हारी
मिटेगा संताप और होगी सिर्फ न्याय की बातें तुम्हारी
निर्भीक होकर चलने का अधिकार तुम्हारा है,
आगे आयें माताएँ, बहनें आयोग ने पुकारा है।

दुराचारी, अत्याचारी की अब एक ना चलेगी,
उठा शमशीर साहस का मंजिल तुम्हें जरूर मिलेगी।
दोषी अब किसी भी शर्त पर बच नहीं पाएगा,
जनमानस पर इसका व्यापक संदेश जाएगा|

टूटेगा मनोबल आतताइयों का भय से कांप जाएगा।
जघन्य अपराध से समाप्य तभी मुक्त हो पाएगा
उद्देश्य हमारा वृहद है, संकल्प दृढ़ है सार्थकता तो आएगी
महिलाएँ उन्मुक्त होकर हर क्षेत्र में परचम अपना लहराएँगी।।

समस्या है तो समाधान भी है

-अंजू पांडे
चयनित प्रतिभागी (My Gov) पंजीकरण संख्या - 130817551

21वीं सदी में भी एक पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने की लड़ाई जारी है। पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था का पालन करने के लिए बाध्य हैं जहां नियम निर्माता ज्यादातर पुरुष होते हैं, समस्या यही है कि निर्णय लेने वाले एवं उनके नीचे का पदानुक्रम भी पुरुष प्रधान है और इसलिए महिलाओं को समाज का हिस्सा नहीं माना जाता है, उन्हें समान सम्मान और समान दर्जा नहीं मिलता है।

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र वाले देश में रहते हुए भी भारतीय महिलाओं की समस्याएँ केवल सामाजिक अधिकारों तक ही सीमित नहीं हैं, कार्यस्थलों और घरों में भी व्यापक हैं।

जब तक हम खुद स्वतंत्र होकर अपने हक़ की लड़ाई नहीं लड़ते तब तक "महिला सशक्तिकरण" शब्द केवल शब्द ही रह जाएगा। स्वतंत्रता से मतलब हमारे उन विचारों की स्वतंत्रता है जो संस्कार मर्यादा से बंधे हैं। हर महिला मल्टी टास्कर होती है। महिला हो या पुरुष, सभी जन्म से समान होते हैं इसलिए उनके साथ कोई भी भेदभाव का व्यवहार मानवता व नैतिकता के खिलाफ है। महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए हमें खुद ही आगे आना होगा।

खुशियों के लिए क्यूँ किसी का इंतजार
हम ही तो हैं जीवन के शिल्पकार
चलो आज मुश्किलों को हराते हैं
और दिन भर मुस्कराते हैं

खुशियाँ कभी किसी बंद कमरे में नहीं आती, जो अच्छा लगे उसमें ही खुशी मिलती है, अपने आप को खुला छोड़ दो, जो पसंद हो वह करें, किसी को कष्ट न दें, उस वक्त आपके मन को जो ख़ुशी मिलेगी वो बयाँ न होगी।

महिलाओं के सामने कोई भी चुनौती आए समाधान एक ही दृष्टिकोण से होगा पहले निवारण का तरीका, फिर चिंतन तभी समस्याओं का समाधान खुद हमारे सामने आ जाएगा।

समाज में सबसे बड़ी समस्या महिलाओं के लिए आचरण और व्यवहार को लेकर निर्धारित नियम हैं। लैंगिक भूमिकाएँ निर्धारित की जाती हैं, एक महिला कैसे बोलती है, कैसे कपड़े पहनती है और अपना जीवन जीने का तरीका कैसे चुनती है, यह भी किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा तय किया जाता है जो महिला नहीं है। कुछ नियम जिनका महिलाओं से पालन करने की अपेक्षा की जाती है, उन्हें मिलनसार होना चाहिए, उन्हें हमेशा समझौता करना चाहिए, भले ही वे दुखी और असुरक्षित माहौल में हों, महिलाओं के लिए मदद माँगने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं है, और उन्हें सभी घरेलू काम भी सीखने चाहिएँ। इन्ही कारणों से दुष्परिणामों में वृद्धि हुई है, जैसे बलात्कार, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, बाल विवाह की अधीनता और जब कोई महिला बदले की कार्रवाई के रूप में किसी भी उत्पीड़न के खिलाफ बोलती है तो उत्पीड़क उस पर तेजाब फेंक देता है। बाल तस्करी के कारण युवा लड़कियाँ लापता हो जाती हैं और उन्हें कठोर वातावरण में बड़ा होने के लिए मजबूर किया जाता है ।

देशव्यापी चुनौतियाँ: सामाजिक स्तर पर महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दे और समस्याएं जिनमें हमें अनेक बदलाव लाने होंगे जैसे:

शिक्षा - जीवन में हर प्रगति के लिए आवश्यक है जो सही व गलत को पहचानने की क्षमता देती है, खुद में सकारात्मक सोच व आत्मविश्वास लाती है। शिक्षित समाज ही उचित व अनुचित में भेद कर सकता है। लड़कियों की शिक्षा में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए क्योंकि शिक्षा उनके क्षितिज व दृष्टिकोण को व्यापक बनाती है जिससे वे अपने काम और सामाजिक क्षेत्र दोनों में अपने संवैधानिक और कानूनी अधिकारों, प्रजनन अधिकारों और मानवाधिकारों के बारे में जागरूक हो जाती हैं। लड़कियों को स्कूली शिक्षा से उन्हें बेहतर सुरक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और अपने जीवन विकल्पों पर अधिक नियंत्रण मिलता है। इसलिए बड़े पैमाने पर जन साक्षरता अभियान चलाया जाना चाहिए। मध्याह्न भोजन, पाठ्य पुस्तकों की मुफ्त आपूर्ति, वर्दी, स्कूल बैग, विज्ञान किट, छात्रवृत्ति और आवासीय छात्रावास सुविधाओं जैसी प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से औपचारिक स्कूली शिक्षा और गैर-औपचारिक शिक्षा में लड़कियों के नामांकन और ठहराव पर जोर दिया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम में लैंगिक भेदभाव को दूर करना चाहिए।

कन्या जन्म - केवल महिला ही जिम्मेदार है क्योंकि वह माँ है, वह विचार करे कि अनेक अवरोध आने पर भी कन्या को जन्म देगी, प्रण कर ले तो समस्या का निवारण निश्चित है जिससे लैंगिक असमानता का भी अंत होगा। लिंग आधारित हिंसा का मूल कारण लैंगिक असमानता है। सरकार को अपने सभी मानवीय कार्यों में लैंगिक समानता का समर्थन करने को प्राथमिकता देनी चाहिए और स्थानीय महिला अधिकारों और महिला नेतृत्व वाले संगठनों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए अजन्मे बच्चे के लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगाने के लिए तकनीक, विनियमन और दुरुपयोग निवारण अधिनियम 1994 का अनुपालन किया जाना चाहिए।

ऑनर किलिंग प्रथा - ऑनर किलिंग एक प्रथा के रूप में सामने आ रही है। अपनी इच्छा दर्शाने, अपना जीवनसाथी चुनने का हक़ क्या बेटी को नहीं है? साँस लेने या देने का अधिकार केवल ईश्वर का है फिर मनुष्य को किसी की जान लेने का अधिकार कैसे मिला? सरकार द्वारा ऐसे लोगों पर सख्त कार्यवाही करनी चाहिए जिनके लिए प्रेम का बदला हत्या है।

दहेज की समस्या- जहां लड़की के परिवार द्वारा दूल्हे के परिवार को बड़ी रकम देनी पड़ती है, एक पुरानी और प्रतिगामी समस्या है जो अभी भी प्रचलित है। दहेज देने में असमर्थता के कारण, कई परिवार लड़कियों को छोड़ देते हैं।लड़की खुद दहेज़ के खिलाफ खड़ी हो कि ऐसे घर में शादी ही नहीं करनी जहां दहेज़ सम्बन्धी मांग हो क्योंकि जब बेटी शिक्षित है, स्वावलम्बी है तो वह हर तरह से सक्षम है।

हमारी सुरक्षा हमारी मुट्ठी में - महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ घरेलू हिंसा, यौन हिंसा, बाल विवाह, वेश्यावृत्ति को समाप्त करने के लिए हमे खुद ही पहल करनी होगी। जिंदगी के मायने समझें, खुशियों को चिन्हित करें।

महिलाओं की निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाकर उन्हें स्वरोजगार प्रदान करने हेतु व्यावसायिक एवं उद्यमिता विकास कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए।

महिलाओं के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय आयोग, गैर सरकारी संस्थानों(एनजीओ), महिला और बाल विकास के लिए टास्क फोर्स, DWACRA (ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास) और ICDS कार्यक्रमों को कानूनी अधिकारों, महिलाओं के अधिकारों, मानवाधिकारों, बाल अधिकारों के बारे में जागरूकता अभियान चलाना चाहिए।

जनसंचार माध्यमों तथा अन्य तरीकों से पति तथा परिवार के अन्य सदस्यों का दृष्टिकोण बदलना चाहिए। पति को अपनी कामकाजी पत्नी के साथ सम्मानपूर्वक और सह- साझेदार की तरह व्यवहार करना चाहिए। उसे उसके तनाव और दबाव को कम करने के लिए घरेलू क्षेत्र में उसकी मदद करनी चाहिए। इसके अलावा उसे मानसिक तनाव और काम के बोझ से राहत के लिए नौकरों और आधुनिक एवं समय बचाने वाले गैजेट की सुविधाएँ दी जानी चाहिएँ।

जब वह काम पर जाती है तो उसके बच्चों की उचित देखभाल के लिए उसके कार्यस्थल पर या उसके आस-पास उचित क्रेच (शिशु- गृह)उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

समाज के इस कमजोर वर्ग के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए सरकार की गहरी रुचि और ईमानदारी से ध्यान अत्यंत आवश्यक है। यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा दी जानी चाहिए और महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

महिलाओं को अपने परिवार के सदस्यों और सहकर्मियों के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए। उन्हें उनका सम्मान करना चाहिए, सहयोगी बनना चाहिए और उनके साथ सहज संबंध बनाए रखने के लिए प्यार, स्नेह, ईमानदारी, वफादारी आदि जैसे महान गुणों को विकसित करना चाहिए।

अपनी आवाज उठाओ- आवाज बातचीत को बढ़ाती है, निर्देशित करती है और बदलती है। जब आपके पास बातचीत में योगदान देने के लिए कुछ हो तो चुप न बैठें।

एक दूसरे का समर्थन करें- स्वयं से भिन्न पहचान की स्वीकृति के माध्यम से स्वयं और अन्य सभी मनुष्यों में अंतर्निहित गरिमा को पहचानें।

कार्यभार साझा करें- अपने साथ भिन्नता को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने की जिम्मेदारी साझा करें

शामिल हो जाओ- स्वीकार करें कि निष्पक्षता और जवाबदेही के निर्माण के लिए आपके कार्य महत्वपूर्ण हैं। अपनी प्रतिबद्धताओं को पहचानें, उनके बारे में बोलें और उन पर अमल करें।

अगली पीढ़ी को शिक्षित करें- सक्रिय रूप से सुनने और समझने की कोशिश करें। ज्ञान बढ़ाने के लिए अनुभव और ज्ञान साझा करें।

अपने अधिकारों को जानें- मानवाधिकार महिलाओं के अधिकार हैं, और महिलाओं के अधिकार मानवाधिकार हैं। अपने सबसे बुनियादी रूप में, मानवाधिकार मानवीय रिश्तों में पारस्परिकता से संबंधित हैं जो पूरी मानवता और उससे आगे तक फैला हुआ है।

ऑनलाइन बातचीत में शामिल हों - मनुष्य जो कुछ कहता है उसके माध्यम से अपनी पहचान और अपनी आकांक्षाएँ व्यक्त करता है। सोशल मीडिया महिलाओं की आवाज़ को बुलंद करता है।

अंत में महिलाओं को यह एहसास होना चाहिए कि अवसर उनकी झोली में नहीं समाएंगे। उन्हें इन्हें बनाना होगा और अगर जरूरत पड़े तो उनके लिए लड़ना होगा। महिलाओं को समाज में अपनी सम्मानजनक स्थिति बहाल करने के लिए संघर्ष करना चाहिए। उन्हें अपने अधिकारों को लागू करने और समाज में उचित न्याय, समानता स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और अशिक्षा, गरीबी, दहेज-प्रथाओं के पूर्ण उन्मूलन और महिलाओं से जुडे सभी कार्यक्रमों और कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए।

खुद अपनी शक्ति पहचानिए - महादेव ने भी माँ पार्वती से कहा था कि नारी क्यों हर कार्य के लिए पुरुष के पीछे खड़ी हो जाती है वह क्यूँ नहीं स्वयं को पहचानती। कृपया स्वयं को मजबूत बनाएँ।

इस प्रकार महिलाएं आर्थिक विकास को गति देने और वांछित दिशा में सामाजिक परिवर्तन लाने में सबसे महत्वपूर्ण हैं। यदि हम वास्तव में समस्याओं को खत्म करना चाहते हैं तो पुरुषों और महिलाओं, दोनों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। महिलाओं को समाज में उचित सम्मान और दर्जा दिया जाना चाहिए जिसकी वे असली हकदार हैं। एक बार जब वह आगे बढ़ती है, तो परिवार आगे बढ़ता है, गांव आगे बढ़ता है और राष्ट्र आगे बढ़ता है।

बेटी को मत समझो भार,
जीवन है उसका अधिकार!
बेटी भी छू सकती है आकाश,
अवसर की है उसे तलाश!
कामयाबी की है उसे आस,
दो उसे ज्ञान का प्रकाश।

- नेहा महाजन गुप्ता,
वरिष्ठ समन्वयक

माननीय राष्ट्रपति जी के साथ विभिन्न राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष

स्थापना दिवस समारोह 31 जनवरी 2023

राष्ट्र-गान, दीप-प्रज्जवलन और गणमान्य अतिथियों के अभिनंदन के साथ समारोह की शुरूआत हुई। सुश्री रेखा शर्मा, अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग ने उपस्थित सदस्यों को संबोधित किया और राष्ट्रीय महिला आयोग की जर्नी बुक "सशक्त नारी, सशक्त भारत" का विमोचन श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी, माननीय मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया और प्रथम प्रति भारत की महा-महिम राष्ट्रपति सुश्री द्रौपदी मुर्म को सौंपी गई।

इस अवसर पर राष्ट्रपति श्रीमति द्रौपदी मुर्म जी ने गणतंत्र की झाँकियों में और अन्य कई क्षेत्रों में महिलाओं के बढ़ते कदमों की सराहना की। भाषण में उन्होंने अभिव्यक्त किया कि देश की आधी आबादी, यानि महिलाओं के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना क्यों की गई। उन्होंने कहा कि शायद महिलाओं को उचित सम्मान व अधिकार नहीं मिलता है, आरक्षण की सुविधा भी पुरुषों तक सीमित रह जाती है और लड़का व लड़की में भेदभाव किया जाता है। ऐसा क्यों है इस पर सोचना चाहिए इसका उत्तर हम लोगों को ढूँढना चाहिए। उनके विचार में, महिला का विकास ही देश का सही विकास कर सकता है।

उड़ने को बेचैन हैं हसरतें अब

-जीवेश , आई.ए.एस(सेवानिवृत्त)

उड़ने को बेचैन हैं हसरतें अब,
इन्हें हौसलों के नए पंख मिल गए।
हमारी नजर आसमानों से आगे,
सभी दायरे तोड़कर हम निकल गए।

है जंजीर अपने खयालात में बस,
जरा सोच बदली कि जंजीर खुल गई।
सदियों से होता रहा है हमेशा,
बदल गए इरादे, ज़माने बदल गए।

नहीं हम कि बन जाएं बुत खूबसूरत,
न तस्वीर बन जो दीवारों पे सज गए।
उड़ने की ज़िद बनी अब है आदत,
तस्वीरों की सरहद से आगे निकल गए।

माँ

-मालविका शर्मा
शोध सलाहकार, रा.म.आ.

हर एहसास की एक कहानी होती है,
कभी पल्लू में, कभी सीने पे,
कभी श्वेत, कभी रक्त, कभी पसीने में.....
जब छुपती हूँ, जब छुपी हूँ ,
साथ मेरे काइ़नात होती है!
हर एहसास की एक कहानी होती है!!

वो साथ नहीं कोई बात नहीं,
जो छुप ना सके जज़्बात कहीं,
उनसे गम का ज़िक्र करो,
जाने क्या करामात होती है!
हर एहसास की एक कहानी होती है!!

जब आँख खुले, जब बात चले,
जब दिन बनने को रात चले,
बस तुमसे ही शुरूआत होती है,
हर एहसास की एक कहानी में,
"माँ" कायम पर लम्हात होती है,
हर एहसास की एक कहानी होती है।

डिजिटल युग में महिलाओं का सशक्तिकरण

-सना के. गुप्ता,
मीडिया सलाहकार, रा.म.आ.

आज के तेजी से बदलते डिजिटल युग में, इंटरनेट एक अथाह संभावनाओं का महासागर बन गया है जो दुनिया भर के लोगों को जोड़ता है। हालांकि, किसी बड़े क्षेत्र की तरह, इस डिजिटल क्षेत्र में भी अपनी चुनौतियाँ और खतरे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग (रा.म.आ.) इंटरनेट की ताकत को पहचानता है और उसके लिए यह सुनिश्चित करने का लक्ष्य है कि महिलाएं साइबर क्राइम में हैकिंग, फिशिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, सोशल इंजीनियरिंग, डीडीओएस अटैक, बॉटनेट, साइबर स्टॉकिंग, पोर्नोग्राफी, साइबर टेररिज्म आदि की दुष्ट प्रथाओं में डूबने से बच सकें। यह प्रयास "डिजिटल शक्ति" का एक पहलू है, जिससे महिलाओं को डिजिटल युग में सशक्त बनाया जा सके।

साइबर अपराध में महिलाएं सॉफ्ट टारगेट क्यों हैं और महिलाओं की साइबर सुरक्षा में रा.म.आ. की क्या भूमिका है?

कुछ लोगों द्वारा ऐसा माना जाता है कि महिलाएँ आसानी से विश्वास करती हैं, उनके तकनीकी ज्ञान में कमी होती है और वे आसानी से घबरा जाती हैं इसलिए साइबर अपराधी महिलाओं को लक्ष्य बनाते हैं। उनकी गोपनीयता और सुरक्षा की कमी के कारण साइबर अपराधी ऐसी महिलाओं को निशाना बनाते हैं। सोशल मीडिया पर उनके बच्चों के बारे में अवैध जानकारी प्रकाशित करते हैं और उनके आदर्शों को ध्वस्त करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा, ऑनलाइन हेराफेरी, साइबर बुलीइंग, गैर-संविदानिक तस्वीरों का इस्तेमाल और व्यक्तिगत जानकारी की चोरी जैसे अपराध भी महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे हैं। इस प्रकार की गतिविधियाँ न केवल उनके आत्म-विश्वास को कमजोर करती हैं, बल्कि समाज में भी एक असुरक्षित माहौल पैदा करती हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग केवल महिलाओं को जागरूक बनाने में ही मदद नही करता है, बल्कि उनकी शिकायतों पर भी ध्यान देता है। अगर कोई महिला साइबर प्रकोष्ठ में एक शिकायत दर्ज कर चुकी है और उसे पंजीकरण संख्या प्राप्त हो चुकी है तो राष्ट्रीय महिला आयोग उस शिकायत की प्रक्रिया को तेजी से सुनने की प्रक्रिया में मदद कर सकता है।

डिजिटल शक्ति: साइबरपीस द्वारा एक नई पहल

तीसरे चरण की सफल पूर्णता के बाद साइबरपीस - "डिजिटल शक्ति" अभियान का चौथा चरण नवंबर, 2022 में नई दिल्ली में शुरू किया गया था। यह अभियान एक भारतीय अभियान है जो महिलाओं और लड़कियों को साइबरस्पेस में डिजिटल रूप से सशक्त और प्रशिक्षित करने का उद्देश्य रखता है। यह परियोजना साइबरपीस फाउंडेशन, राष्ट्रीय महिला आयोग, मेटा (पूर्व में फेसबुक के रूप में जाना जाता था) और ऑटोबॉट इंफोसेक की संयुक्त पहल है।

महिलाओं और लड़कियों के लिए एक सुरक्षित साइबरस्पेस बनाने के लिए पिछले तीन चरणों को पूरा करने के बाद "डिजिटल शक्ति" के चौथे चरण को शुरू किया गया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को डिजिटल रूप से शिक्षित और जागरूक बनाना है ताकि वे किसी भी साइबर खतरे, गैर-कानूनी एवं अनुचित गतिविधि के खिलाफ सजग और सशक्त रह सकें। चरण 4 के माध्यम से हम लक्ष्य रखते हैं कि देशभर में 10 लाख लड़कियों, महिलाओं और नेटिजन्स को ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता के मौलिक तत्वों पर जागरूक किया जाए। अब तक हम 7 लाख महिलाओं का डिजिटल सशक्तिकरण करचुके हैं और हम अगले सालतक 10 लाख से भी ज़्यादामहिलाओं का डिजिटल सशक्तिकरण करने मेंकामयाब होंगे।

अस्तित्व

-**साक्षी बरोलिया** चयनित प्रतिभागी (My Go) पंजीकरण संख्या -130823391

अस्तित्व मेरा मैं गढ़ लूँगी, खोजूँगी अपना अर्थ ।

अंध कोठरी क्यों मेरी, सबका उजला आकाश,
हर बार तुम्हारी साथी मैं, पर तुम कब मेरे साथ?

वात्सल्य हूं मैं, कोमलता भी, मुझे दया भी जँचती है।
पर जब मैं कुछ कहना चाहूं, क्यों अनुमति लगती है ?

पंख दिए मुझको ईश्वर ने, न छीनो मेरा आकाश।
स्थिरता, बंधन और लज्जा से मत रखो मुझे यूं फाँस ।

गर करके हिम्मत मैं निकलूं, हवस तुम्हारी मुझे निगल गई।
न कोई न्याय न कोई साथी, न्याय मांगते उम्र निकल गई।

हर बार मेरे सारे त्यागों को मेरा धर्म ही कहा गया।
मेरा थोड़ा सा आगे बढ़ना, क्यों न सबसे सहा गया?

पिता का घर या पति का घर, न कोई घर मेरा ही पाया।
जलती रही त्याग अग्नि में, फिर भी सम्मान नहीं पाया।
उज्ज्वला, सुकन्या, मातृत्व लाभ से, अपना समाज भी बदलेगा।
मात्र वंदना, समर्थ योजना से जल्द ही ये सब संभलेगा।

मैं ससुराल नहीं जाऊंगी..

-**मनस्वी राज**
चयनित प्रतिभागी (My Gov)130845251,

फातिमा बेटा इधर आना ज़रा, मुझे पता था अब्बू मुझे क्यों बुला रहे थे? अम्मी शांत थी मतलब फिर निकाह की बात। मैं नीचे गई, बेटे यह देखो, शाबीर है, बहुत सुंदर है एम्स में न्यूरो का डॉक्टर भी है तुम तो जानती ही हो कि भविष्य में न्यूरोलॉजिस्ट की मांग कितनी बढ़ने वाली है साथ ही साथ इसके घर में सिर्फ अब्बू अम्मी हैं क्या मैं तुम्हारी बात यहां चलाऊँ?
मैंने कहा सिर्फ तस्वीर देख कर प्यार नहीं होता और प्यार छोड़ो पहले मुझे को अपना भविष्य बनाना है अपना करियर बनाना है और उसके बाद ही मुझे भेजना ससुराल! ठीक है!
पर सुनो तो बेटा। अब्बू मैं आपसे पूछ नहीं रही हूं परंतु बता रही हूं। उन दिनों मैं बी.ए. कर चुकी थी। हिंदी बचपन से ही मेरा मन पसंदीदा विषय रहा तो मैंने उसमें ही स्नातक करने के बारे में सोचा। आंखों में जिला मजिस्ट्रेट बनने का सपना लेकर मैं जीती थी और साथ ही मैंने ठान लिया था कि मैं इतनी जल्दी शादी ब्याह तो न हीं करूंगी !

मन में जब देखो तब यह गाना चलता रहता था
"मैं ससुराल नहीं जाऊँगी डोली रख दो कहारों,
साल दो साल नहीं जाऊँगी डोली रख दो कहारों"

मैंने यूपीएससी का पहला प्रयास 2021 में दिया था परंतु उसमें विफलता प्राप्त हुई थी। उस वक्त मैं प्रीलिम्स में ही चारों खाने चित्त हो गई थी। अगले वर्ष प्रीलिम्स की तो प्रैक्टिस थी परंतु जब सामने से अफसरों ने सवाल दागे तो मेरी घबराहट ने मुझे बाहर कर दिया। लेकिन इस बार मैंने ठान लिया था कि मैं सफल होकर रहूँगी। अब्बू का सब्र का बांध टूटा जा रहा था। वह तो मुझे बी. ए. भी ना करने देते। प्रीलिम्स और मेंस से छुटकारा तो आसानी से पा लिया पर इस निकाह से कैसे छुटकारा पाऊँ?
चची जान जब देखो तब मेरे अब्बू अम्मी के कान भरती रहती थी मेरा निकाह मेरी जिंदगी, मेरे फैसले परंतु यहाँ से मेरे फैसले के जगह घरवालों के फैसले क्यों हो जाते हैं? मैं क्या मीराबाई से कम थी? “विष का प्याला राणा भेजा पीवत मेरा हांसी रे!"
मेरे जीवन में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था ‘निकाह का प्याला समाज भेज्या पीवत अब मैं हाँसी रे’, निकाह के बात से दूर जाएं तो मेरी पढ़ाई पर भी समाज में कई सवाल उठाए जाते थे।

मैं इतने दिनों से क्यों पढ़ाई कर रही हूँ? मैं इस पढ़ाई का क्या करूंगी? मीरा को जैसे कहा कि मीरा अपने कुल का नाश कर रही है सामान्यतः मुझे भी ऐसे ताने अक्सर मिला करते थे- देर रात तक ट्यूशन क्लास आदि के लिए।

क्या मेरा ईश्वर मुझे पढ़ने के लिए, इल्म अर्जित करने से उसे दूर रखेगा? खैर इन बातों से कुछ और दूर जाते हुए मैंने शाबीर की प्रोफाइल देखी लड़का तो अच्छा था पर क्या वह मुझे पढ़ने से या काम करने से रोकेगा? कुछ दिन में मेरा इंटरव्यू था। मैंने अपने अब्बू जान से कहा कि मुझे कुछ दिन की मोहलत दें। इंटरव्यू के बाद जहाँ जाना होगा मैं चली जाऊंगी। अब्बू खुश हुए और मेरी शांति वापस आई और इंटरव्यू हुआ परंतु बात यह थी कि क्या मेरा सिलेक्शन इस वर्ष होगा या फिर से विफलता मेरे पास आएगी ? खैर हम अगले ही दिन शाबीर के घर गए मुझे वहां उनकी अम्मी नूर मिली और उनके अब्बू। घर का माहौल काफी अच्छा था बस शाबीर को भी मेरी आकांक्षा के बारे में समझ आ जाए।

मुझे शाबीर से अकेले में बात करने को मिला, मैंने उसे बताया कि मैं यदि अभी जिला मजिस्ट्रेट नहीं बन पाई तो शादी के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करूंगी और यदि मेरा सिलेक्शन इस वर्ष हो गया तो मैं आगे काम करूंगी!

उसने विनम्रता से जवाब दिया मुझे आपकी सफलता पर नाज़ होगा। आप काम करें यह मेरे लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व की बात होगी कि एक लड़की इतनी आगे बढ़ रही है। मुझे आपके काम से कोई समस्या नहीं रहेगी। फिर क्या.....मैं भी निकाह के लिए मान गई!

अगले महीने निकाह हुआ। मैं अपने मायके से रुखसत हुई। अपने नए घर पर आई, नई यादें बनेंगी, नई बातें होंगी, नए वादे होंगे, नए नजारे होंगे, नई नौकरी भी होगी शायद। लगता है.. शाबीर मेरे लिए एक फरिश्ता है। निकाह के अगले ही दिन मुझे यह बात पता चली कि इस वर्ष मेरा सिलेक्शन हो गया है और अंततः जो मैंने अपने लिए सपना देखा था वह पूरा हो गया था। मैं खुशी से गदगद थी क्योंकि जो मैं चाहती थी आखिरकार वो मुझे मिल गया। मैं शाबीर के पास गई मैंने उसे सब कुछ बताया और फिर मैंने उससे पूछा क्या मैं नौकरी कर सकती हूँ? अब तो मुझे ट्रेनिंग के लिए भी जाना पड़ेगा मुझे इसका जवाब मिल गया शावीर की खुशी देखकर।

ईश्वर का भेजा फ़रिश्ता,अनमोल

-रिया गुलाटी,
पूर्व जेटीई, रा. म. आ.

किसी ने बड़े कमाल की बात कही है:
"उमर थका नहीं सकती,
ठोकरें गिरा नहीं सकती,
अगर जीतने की ज़िद हो तो,
परिस्थितियाँ हरा नहीं सकती"

ये कहानी है राज और निरुपमा की जिन्होंने अपने बच्चों की ज़िंदगी खूबसूरत बनाने के लिए बहुत कुर्बानियाँ दीं। चाहे वह शीर्ष संस्थान में उनकी शिक्षा हो या नवीनतम मोबाइल और ब्रांडेड कपड़ों की मांग या बड़ी गाड़ी खरीदने की ख़्वाहिश! राज और निरुपमा ने अपने बच्चों की इच्छा हमेशा पूरी की। उनका बड़ा बेटा आर्यन, अमेरिका में वकील है और शनाया उनकी छोटी बेटी कनाडा में डॉक्टर है। अपने बच्चों को देश से बाहर बसाने के लिए राज और निरुपमा ने पुराना घर बेच कर मुंबई में एक छोटा सा घर खरीदा, जहाँ वे रह रहे हैं। आर्यन और शनाया, दोंनो ही अपने माता-पिता की ज़िम्मेदारी लेने में झिझकते थे यहाँ तक कि वे उनके फोन कॉल्स को भी नजरअंदाज करते थे। यह सच है कि "फितरत ही ऐसी है इंसान की, जब बारिश खत्म हो जाए तो छतरी भी बोझ लगती है"।

राज 69 साल के हैं जो अब काम नहीं करते, और निरुपमा 59 साल की है, जो आस-पडोस के घरों में खाना बनाती है और उसी से अपने घर का गुजारा करती है। घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब चल रही थी। निरुपमा ने अपने बच्चों को कॉल किया, हमेशा की तरह, किसी ने फोन नहीं उठाया। अगले दिन जब निरुपमा किसी के घर काम करने जा रही थी कि निरुपमा ने एक महिला को मंदिर के सामने गिरा हुआ देखा जो ट्रक से दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद लहुलुहान वहाँ पड़ी थीं। कोई भी उस महिला की मदद करने आगे नहीं बढ़ रहा था। निरुपमा ने जैसे-तैसे बहुत मुश्किल से उसे ऑटो में बैठाकर समय से अस्पताल पहुँचाया और महिला के पास एक बैग था जिसमें उसके आधार कार्ड और डायरी से पता चला कि उसका नाम हेमा है, उनके परिवार के सदस्यों से संपर्क किया। जब हेमा का परिवार अस्पताल पहुंचा तो पता चला कि निरुपमा ने मरीज को सही समय ला कर उनकी जिंदगी बचाई।

जैसे ही हेमा के पति और बेटे को पता चला, उन्होंने निरुपमा को सादर प्रणाम किया और कहा हम आपके एहसान को कभी नहीं भूलेंगे- अगर हम आपके कुछ काम आ सकते है तो बेझिझक बताएं। निरुपमा ने कहा, मैने कुछ नहीं किया, यह बस परमात्मा की कृपा है कि मुझे सही समय पर मंदिर के पास एक सज्जन औरत की जिंदगी बचाने के लिए भेज दिया, मुझे इसके लिए कुछ नहीं चाहिए। अपनी माँ से मिलने के बाद, हेमा के बेटे (अनमोल) ने निरुपमा से उनके घर के बारे में पूछा और पता लगने के बाद निरुपमा को बड़ी धनराशि देने का फैसला किया। निरुपमा ने पैसे लेने से साफ़ इनकार कर दिया और कहा, अगर आप मुझे एक अच्छी नौकरी दिलवाने में सहायता कर सकते हैं तो वह मेरे लिए बहुत मददगार रहेगा। अनमोल ने उसके बारे में जानकारी ली और जब उसे पता चला कि वह कई घरों में खाना बनाती है और सभी उससे खुश हैं तो उसने अपने बिज़नेस में निरुपमा को 1 लाख रुपये की खाना पकाने वाली शिक्षक की नौकरी दिलवा दी। निरुपमा की व्यंजन-विधियाँ दिन-ब-दिन इतनी मशहूर हो गईं कि वो पत्रिकाओं और वीडियोज़ के ज़रिये देश विदेश तक पहुँच गयी। निरुपमा ने पहले अपने बैंक कर्ज़ को खत्म किया और फिर अपने पुराने घर को वापस खरीद लिया।

> “
> ज़िन्दगी का हर पता बताती है,
> कड़वे ज़हर को दवा बताती है
> उदास होने ही नही देती कभी,
> माँ हार को भी तजुर्बा बताती है
>
> -शिवम गर्ग
> ”

ऐसा नहीं है कि दुनिया के सब बेटे और बेटी आर्यन और शनाया जैसे होते है, कुछ अनमोल जैसे भी होते हैं जो अपने माता पिता पर जान छिड़कते हैं और मानवता के प्रति अच्छे कर्म करते है। आज की स्थिति ऐसी है कि आर्यन और शनाया दोनों ने अपने व्यवहार की वजह से नौकरी खो दी और फिर भी निरुपमा अपने बच्चों की मदद कर रही है, उन्हें ज़िंदगी का पाठ सिखा रही हैं जिसका असर उनके बच्चों के व्यवहार में सकारात्मक रूप से प्रतिबिंबित हो रहा है। हिंदुस्तान को यही बात और देशों से अलग बनाती है कि बचपन से ही हर माँ-बाप अपने बच्चों को निःस्वार्थ प्रेम, सम्मान और बडों का आदर करने की सीख देते हैं।

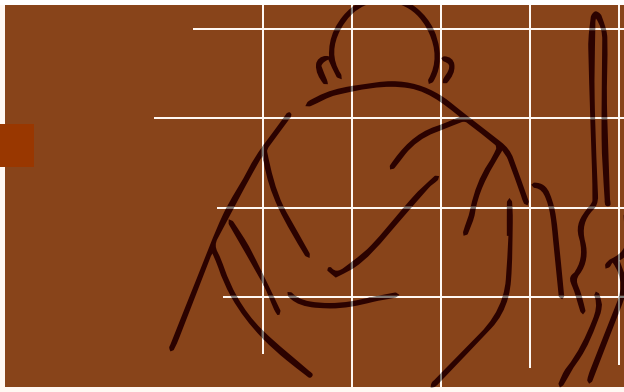

महात्मा गाँधी का ताबीज़

-शिवम गर्ग,
मीडिया सलाहकार, रा.म.आ.

किसी भी स्वतंत्र, गणतांत्रिक राष्ट्र के जीवन के प्रारंभिक वर्षों का समय वह समय होता है जब संस्थागत नींव रखी जाती है, जब नागरिक स्वयं के लिए कर्तव्यों व अधिकारों को निर्धारित करते हुए संविधान का निर्माण करते हैं तथा इसके पश्चात इन संस्थाओं से, संविधान से यह आशा की जाती है कि वे ऐसे समाज को जन्म दें जो स्वतंत्रता को जीवित रख सके।

आजादी के समय हमारे राष्ट्र-निर्माताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि एक ऐसा संविधान तैयार किया जाए जो भारत की विभिन्नताओं को प्रतिबिम्बित करे, उनका प्रतिनिधित्व करे तथा साथ ही आने वाले वर्षों में रचनात्मक रूप से इसे शासित भी करे।

संविधान सभा में जब हमारा संविधान आकार ले रहा था तब वहाँ साकार हो रहा था एक ऐसा भविष्य जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की आँखों में सपना बनकर पल रहा था। संविधान सभा में ये सदस्य न सिर्फ संविधान लिखने के लिए एकत्रित हुए थे मगर साथ ही उनका उद्देश्य प्राचीन भारत व भविष्य के भारत में सामंजस्य स्थापना करना भी था।

09 दिसंबर, 1946 को पहली बार हमारी संविधान सभा इकट्ठा हुई थी। हिन्दुस्तान के संविधान को आकार देने के लिए सभी महत्वपूर्ण लोग संविधान सभा में उपस्थित थे लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, महात्मा गाँधी सभा में नहीं पहुँचे थे, पूरा देश चाहता था कि गाँधी जी की देखरेख में संविधान का निर्माण हो मगर बापू बँटवारे की आहट से आहत थे और इसी नाराज़गी के कारण वो संविधान सभा में नहीं गए थे। बापू को मनाने व उनका आशीर्वाद लेने के लिए, उस समय के बहुत बड़े नेता बाबू जगजीवनराम जी अन्य कुछ संविधान सभा के सदस्यों के साथ बापू से मिलने गए। उस समय महात्मा गाँधी ने बाबू जगजीवनराम को आशीर्वाद देते हुए कहा था कि मैं संविधान सभा में तो नहीं आ सकता परंतु आज मैं एक ताबीज़ तुम्हें दूँगा, बाबू जगजीवनराम इस बात से आश्चर्यचकित थे क्योंकि वो जानते थे कि गाँधी जी ताबीज़ आदि में विश्वास नहीं रखते, उन्होंने जिज्ञासावश महात्मा गाँधी से पूछा “बापू मुझे तो लगता था आप यंत्र-मंत्र, ताबीज़ में यकीन नही रखते”, तब बापू ने जो जवाब दिया शायद वही जवाब मोहनदास करमचंद गाँधी को महात्मा गाँधी बनाता है। बापू ने कहा कि मैं इस ताबीज़ में जरूर विश्वास रखता हूँ और शायद ये ताबीज़ तुम्हे सही संविधान बनाने में मदद करे। गाँधी जी का वो ताबीज़ ये था कि संविधान बनाते समय जब कभी अपने आप को शंका में घिरा पाओ, तो उस सबसे दीन-हीन गरीब कमजोर इंसान जिसे तुमने देखा हो उसका चेहरा याद करना और स्वयं से पूछना कि जो मैं करने जा रहा हूँ क्या इससे उसका भला होगा? इस कदम से क्या उसे कुछ मिलेगा या नही या ऐसे करोड़ों को स्वराज मिलेगा या नहीं, फिर देखना तुम्हारी सारी शंकाएँ दूर हो जायेंगी।

बापू का ये ताबीज़ आज संविधान के हर अक्षर में नजर आता है। यह ताबीज़ संविधान सभा में न सिर्फ संविधान निर्माताओं के काम आया मगर जीवन में हर पल हमारे भी काम आ सकता है, बहुत सारी शंकाओं का समाधान है यह ताबीज़।

महिला शक्ति

-राम शंकर पाल,
डॉटा एंट्री ऑपरेटर, रा.म.आ.

15 अगस्त और रक्षाबंधन की
एक संयुक्त हर्षोल्लास वाली शाम..
बाहरी दिल्ली की एक सड़क
एक भाई और बहन
एक दोपहिया वाहन पर
घर जा रहे थे
सहसा एक पतंग की डोर(चीन वाली)
भाई का गला रेत गयी
उसकी चीखों से वातावरण
दहल गया और वह जमीन पर गिर गया
बहन बदहवास...मदद की आस में
हर तरफ देखने लगी
पर कोई नही सुन रहा उसकी गुहार
सारा शहर गुज़र रहा है
बड़ी मूँछों वाले मर्द
सिक्स पैक वाले मर्द
हैंडसम एंड टॉल मर्द
गरीब लोग
बहुत अमीर लोग
कर्मचारी वर्ग
अधिकारी वर्ग गुज़र रहा था
पर कोई इंसान नही गुजर रहा था
न कोई मदद मिल रही थी
भाई की तड़प और रक्तस्त्राव
दोनों बढ़ रहे थे
बहन बदहवास और स्तब्ध
सहसा एक पुरानी कार रुकी
जिसमें से एक स्त्री निकली
बहन की मदद से उस घायल
लड़के को कार में डाला
और कार बढ़ गयी
नजदीकी अस्पताल की तरफ.....
(इस दिन दो घटनाएं हुई थी पतंग की डोर से गला कटने की एक दिल्ली में और एक फरीदाबाद में ...पर विडंबना देखो ...दोनों जगह पर मदद करने के लिए स्त्री ही आगे आई ....शायद इसलिए नारी को शक्ति का रूप माना जाता है.....फरीदाबाद वाले लड़के की जान बच गई क्योंकि वो सही समय पर अस्पताल पहुचा दिया गया था.... पर दिल्ली वाले लड़के को बचाया नही जा सका.....क्योंकि उसे सही समय पर मदद नही मिली)

नयी उड़ान

-प्रियंका पाराशर देवली
समन्वयक, रा.म.आ.

“राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा अनिवासी भारतीय (एनआरआई) वैवाहिक मुद्दों पर भारतीय महिलाओं का सशक्तिकरण’

मैं, भारतीय महिलाओं द्वारा सामना किए गए अनिवासी भारतीय (एनआरआई) वैवाहिक मुद्दों से संबंधित अपने वर्षों के कार्य अनुभव को साझा करने के लिए वास्तव में उत्साहित महसूस कर रही हूँ। रा.म.आ. में मेरे कार्यकाल के दौरान, मुझे अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ में अनिवासी भारतीय विवाह से परेशान भारतीय महिलाओं से प्राप्त शिकायतों को संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी। कार्य में संकटग्रस्त भारतीय महिलाओं की सीधी काउंसलिंग और भारत में पुलिस अधिकारियों, कानूनी सेवा प्राधिकरणों, केंद्रीय मंत्रालयों जैसे विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और विदेश में भारतीय दूतावास सहित संबंधित सरकारी एजेंसियों के साथ नियमित समन्वय शामिल था। आयोग सक्रिय रूप से भारत के विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में अनिवासी भारतीय विवाहों से संबंधित सामाजिक-कानूनी मुद्दों पर ऑनलाइन/ ऑफ़लाइन मोड में विभिन्न कानूनी जागरूकता अभियान, सेमिनार, परामर्श और बैठकें आयोजित करता है।

हमने पाया है कि दुनिया भर में भारतीय विस्थापन में वृद्धि के परिणामस्वरूप शादी के एक नए रूप का उदय हुआ, जिसे अनिवासी भारतीय विवाह कहा जाता है, जहाँ एक पक्ष दूसरे देश का निवासी/नागरिक है या जहाँ दोनों पक्ष भारतीय हैं, लेकिन विदेशी धरती पर रह रहे हैं। ऐसे अनिवासी भारतीय विवाहों में उत्पन्न होने वाली समस्याओं को न्याय क्षेत्रों और कानूनों की बहुलता के कारण हल करना विशेष रूप से कठिन होता है। अनिवासी भारतीय/विदेशी विवाहों के मामले में महिलाओं को अधिकारों से वंचित करने और अनिवासी भारतीय/विदेशी पतियों द्वारा महिलाओं के परित्याग से संबंधित मामलों की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है।

ऐसे विवाहों में महिला अधिकारों के उल्लंघन में शामिल मुद्दों की गंभीरता को देखते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग को अप्रैल, 2009 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय समन्वय एजेंसी के रूप में नामित किया गया था ताकि विभिन्न हितधारकों के प्रयासों में समन्वय स्थापित किया जा सके। यह पहल "एनआरआई पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं की दुर्दशा" विषय पर महिला सशक्तिकरण पर संसदीय समिति (14वीं लोकसभा-2006-2007) की सिफारिशों पर आधारित थी। इसके बाद, आयोग का अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ 24 सितंबर, 2009 को अस्तित्व में आया।

अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ की स्थापना के बाद से आयोग एक विशिष्ट भूमिका निभा रहा है और अनिवासी भारतीय विवाहों की पीड़ित महिलाओं को सहायता प्रदान करने और उन्हें उनकी समस्याओं का सम्मानजनक समाधान प्राप्त करने में सक्षम बनाने में अथक रूप से काम कर रहा है। आयोग को पंजाब, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिणी राज्यों - विशेषकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु आदि से बड़ी संख्या में मामले प्राप्त हो रहे हैं।

अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ (एनआरआई सेल) में अपने कार्यकाल के दौरान, मैंने यह देखा है कि आयोग को व्यथित भारतीय महिलाओं से निम्नलिखित शिकायतें मुख्य रूप से प्राप्त होती हैं:

- **एकपक्षीय तलाक**
- **पति द्वारा दायर बाल अभिरक्षा/बच्चे के अपहरण के मामले**
- **पति द्वारा भरण-पोषण से इंकार**
- **समन/वारंट/अदालत के आदेशों की तामील करना**
- **प्रतिवादी के ठिकाने के बारे में कोई सुराग नहीं**
- **विदेशों में कानूनी लड़ाई लड़ने में वित्तीय बाधाएं**
- **अपने पति को मुकदमे का सामना करने के लिए भारत वापस लाने के लिए, (प्रत्यर्पण)**
- **विदेशों द्वारा भारतीय न्यायालयों के निर्णयों को मान्यता न देना**

इस तरह के विवाहों में शामिल मुख्य मुद्दा यह है कि न्याय के लिए महिला का सहारा बहुत कृत्रिम है क्योंकि इस तरह के विवाह केवल भारतीय कानूनी प्रणाली द्वारा ही नहीं बल्कि दूसरे देश की कानूनी प्रणाली से जुड़े कहीं अधिक जटिल निजी अंतरराष्ट्रीय कानूनों द्वारा भी नियंत्रित होते हैं।

रा.म.आ. का उद्देश्य परित्यक्त असहाय भारतीय महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों और चुनौतियों पर जन जागरूकता पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करना है जो परित्यक्त होने पर निवारण/उपलब्धताओं के बारे में बहुत कम या कोई जानकारी नहीं होने के कारण दर-दर भटकती रहती हैं। साथ ही उद्देश्य शिकायतों के निवारण के लिए योजनाओं और नीतियों के कार्यान्वयन में सरकारी अधिकारियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करना है जो इस मुद्दे पर संवेदनशीलता भी पैदा करेगा। इसके अलावा, बहुत महत्वपूर्ण है कि पीड़ित और सेवा प्रदाता के बीच पुल का निर्माण करना। हमें इसकी पहुंच, प्रभावशीलता और कानूनों और विनियमों के अनुपालन को बढ़ाकर पहुंच को मजबूत करने की भी आवश्यकता है। आम तौर पर ऐसा देखा गया है कि इस तरह के विवाहों में गंभीर जोखिम होता है, जैसा कि महिला को घर से दूर एक विदेशी देश में अलग-थलग हो जाती है और से कई अन्य प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है- परभाषा, संचार, स्थानीय आपराधिक न्याय, पुलिस और कानूनी प्रणाली के ज्ञान की कमी, मदद के लिए दोस्तों और परिवार के नेटवर्क, तत्काल और आसानी से उपलब्ध मौद्रिक सहायता और शरण लेने की जगह की कमी, कभी-कभी अवैध रूप से अपने बच्चों का अपहरण करने के आरोपों आदि का भी सामना करना पड़ता है।

हिंदी पखवाड़ा 2022

राष्ट्रीय महिला आयोग में कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 14 सितम्बर को 'हिंदी दिवस' मनाया जाता है और हिंदी पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है और उन्हें पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है।

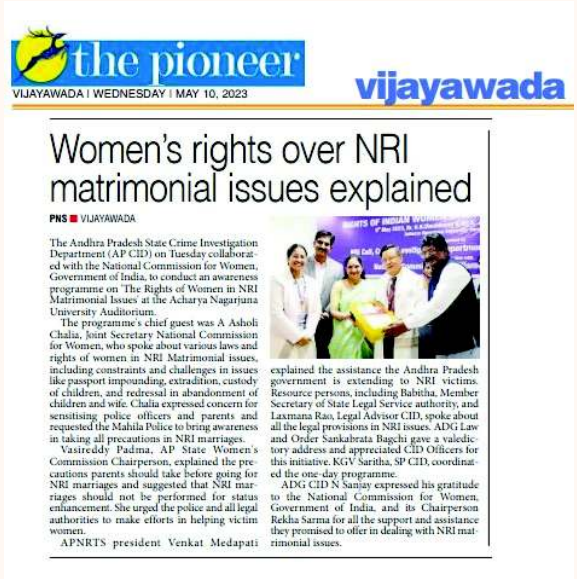

the pioneer

VIJAYAWADA | WEDNESDAY | MAY 10, 2023

vijayawada

Women's rights over NRI matrimonial issues explained

PNS ■ VIJAYAWADA

The Andhra Pradesh State Crime Investigation Department (AP CID) on Tuesday collaborated with the National Commission for Women, Government of India, to conduct an awareness programme on 'The Rights of Women in NRI Matrimonial Issues' at the Acharya Nagarjuna University Auditorium.

The programme's chief guest was A Asholi Chalia, Joint Secretary National Commission for Women, who spoke about various laws and rights of women in NRI Matrimonial issues, including constraints and challenges in issues like passport impounding, extradition, custody of children, and redressal in abandonment of children and wife. Chalia expressed concern for sensitising police officers and parents and requested the Mahila Police to bring awareness in taking all precautions in NRI marriages.

Vasireddy Padma, AP State Women's Commission Chairperson, explained the precautions parents should take before going for NRI marriages and suggested that NRI marriages should not be performed for status enhancement. She urged the police and all legal authorities to make efforts in helping victim women.

APNRTS president Venkat Medapati explained the assistance the Andhra Pradesh government is extending to NRI victims. Resource persons, including Babitha, Member Secretary of State Legal Service authority, and Laxmana Rao, Legal Advisor CID, spoke about all the legal provisions in NRI issues. ADG Law and Order Sankabrata Bagchi gave a valedictory address and appreciated CID Officers for this initiative. KGV Saritha, SP CID, coordinated the one-day programme.

ADG CID N Sanjay expressed his gratitude to the National Commission for Women, Government of India, and its Chairperson Rekha Sarma for all the support and assistance they promised to offer in dealing with NRI matrimonial issues.

इस तरह के मामलों में राष्ट्रीय महिला आयोग के पास पंजीकृत समस्याग्रस्त अनिवासी भारतीय विवाहों की शिकायतों को संबंधित अधिकारियों जैसे कि पुलिस अधिकारियों, विदेशी भूमि में भारतीय दूतावास/वाणिज्य दूतावासों, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों और राज्य सरकारों के अन्य विभागों के साथ उचित कार्रवाई के लिए उठाया जाता है।

अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ में मेरे कार्यकाल के दौरन मैंने इसका अनुभव किया है कि यह महत्वपूर्ण है कि लोग अनिवासी भारतीय विवाहों में क्या करें और क्या न करें की समझ लें और इससे पहले कि वे अपनी बेटी को इस तरह के वैवाहिक संबंध में प्रवेश करने दें, एहतियाती कदम उठाएं।

व्यापक जन-जागरूकता पैदा करने और अनिवासी भारतीय (एनआरआई) विवाहों में शामिल विभिन्न मुद्दों के कारण प्रभावित भारतीय महिलाओं के लिए उपलब्ध कानूनी उपायों की प्रभावशीलता पर विचार-विमर्श शुरू करने के लिए आयोग का अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ समय-समय पर कार्यक्रम/सेमिनार और परामर्श/बैठकें भी आयोजित करता है। इस अवधि के दौरान, अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ ने कानून और अधिकार क्षेत्र के संघर्ष के कारण पीड़ित महिलाओं को पर्याप्त राहत पाने में आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए पंजाब, दिल्ली, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु राज्यों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। जागरूकता अभियान का उद्देश्य पीड़ित महिलाओं के सशक्तिकरण और स्वायत्तता पर ध्यान केंद्रित करना और उनके सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना और अनिवासी भारतीय विवाहों में शामिल कानूनी जटिलताओं पर बेहतर समझ बनाना है।

मेरे अनुभव में मैं एक महिला की वित्तीय स्वतंत्रता पर जोर दूंगी ताकि अपने ऐसे संघर्ष के दौरान वह अपना, अपने बच्चों और महत्वपूर्ण जरूरतों का ख्याल रखने में सक्षम हो सकें।

प्रश्नोत्तरी

1.अंटार्कटिका पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है?
क. माहेल मूसा
ख. सुशमा चावला
ग. पुनीता अरोड़ा
घ. इनमें से कोई भी नहीं

2 भारत की ओर से पहली मिस यूनिवर्स कौन थी?
क. रीता फारिया
ख. सुष्मिता सेन
ग. लारा दत्ता
घ. युक्ता मुखी

3. लोक सभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी?
क. शन्नो देवी
ख. मीरा कुमार
ग. सुमीत्रा महाजन
घ. सरोजिनी नायडू

4. भारत की प्रथम महिला शिक्षिका किसे कहा जाता है?
क. सरोजिनी नायडू
ख. सावित्रीबाई फुले
ग. रानी लक्ष्मीबाई
घ. इनमें से कोई भी नहीं

5. माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन थी?
क. सुचेता कृपालानी
ख. बछेंद्री पाल
ग. सुरेखा यादव
घ. कमलजीत संधू

6. भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी ?
क. राम दुलारी सिन्हा
ख. फातिमा बीवी
ग. प्रतिभा पाटिल
घ. सरोजिनी नायडू

7. दिल्ली की शासक बनने वाली प्रथम महिला कौन थी?
क. मुमताज महल
ख. रजिया सुल्तान
ग. रानी लक्ष्मीबाई
घ. इनमें से कोई भी नहीं।

8. राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी?
क. नंदिनी सत्पथी
ख. सुचेता कृपलानी
ग. शशिकला काकोडकर
घ. शीला दीक्षित

9. सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी?
क. सुजाता मनोहर
ख. फातिमा बीवी
ग. ज्ञान सुधा मिश्रा
घ. रूमा पाल

10. नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी?
क. मदर टेरेसा
ख. एनी वुड बेसेंट
ग. अरूंधति राय
घ. जयती घोष

प्रश्नोत्तरी

11. 'मिस वर्ल्ड' बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी?
क. एश्वर्या राय
ख. युक्ता मुखी
ग. रीता फारिया
घ. डायना हेडन

12. संयुक्त राष्ट्र में पहली भारतीय महिला राजदूत कौन थी?
क. गौरी त्रिमुर्ती
ख. एनम गंभीर
ग. विजयलक्ष्मी पंडित
घ. विदिशा मैत्रा

13. बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी?
क. झुम्पा लाहिड़ी
ख. शशि देशपांडे
ग. अरूंधति राय
घ. किरण देशाई

14. प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी?
क. इंदिरा गांधी
ख. प्रतिभा पाटिल
ग. सुषमा स्वराज
घ. जयललिता

15. भारतीय वायु सेना में प्रथम महिला पायलट कौन थी?
क. शिवांगी सिंह
ख. भावना कंठ
ग. उषा सुंदरम
घ. हरिता कौर दयाल

16. अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी?
क. सिरीशा बांदला
ख. ए. ललिता
ग. कल्पना चावला
घ. सुनीता विलियम्स

17. अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी?
क. कमलेश कुमारी
ख. नीरजा भनोट

18. ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है?
क. कर्णम मल्लेशवरी
ख. मैरी कॉम
ग. साइना नेहवाल
घ. पी. वी. सिंधु

19. उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी ?
क. लीला सेठ
ख. हिमा कोहली
ग. अन्ना चांडी
घ. जस्टिस बी. वी. नागरत्ना

20. उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी ?
क. हिमा कोहली
ख. अन्ना चांडी
ग. लीला सेठ
घ. जस्टिस बी. वी. नागरत्ना

प्रश्नोत्तरी

21. प्रथम महिला आईएएस कौन थी?
क. स्वाति मीणा
ख. टीना डाबी
ग. स्मिता भरवाल
घ. अन्ना राजम मल्होत्रा

22. प्रथम महिला आईपीएस कौन थी?
क. कंचन चैधरी भट्टाचार्या
ख. अपराजिता राय
ग. किरण बेदी
घ. डॉ. रूवेदा सलाम

23. पहली महिला पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन थी?
क. कंचन चैधरी भट्टाचार्य
ख. सुंदरी नंदा
ग. लतिका सरन
घ. किरण बेदी

24. प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन थी?
क. प्रिया झिंगन
ख. माधुरी कानिटकर
ग. पद्मा बंदोपाध्याय
घ. पुनीता अरोड़ा

25. भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी ?
क. मेदर टेरेसा
ख. इंदिरा गांधी
ग. अरूणा असम अली
घ. लता मंगेशकर

उत्तर

1. उत्तर: क. माहेल मूसा

2. उत्तरः ख. सुष्मिता सेन

3. उत्तरः ख. मीरा कुमार

4 उत्तरः ख. सावित्रीबाई फुले

5. उत्तरः ख. बछेंद्री पाल

6. उत्तरः घ. सरोजिनी नायडू

7. उत्तरः ख. रजिया सुल्तान

8. उत्तरः ख. सुचेता कृपलानी (उ. प्र.)

9. उत्तरः ख. फातिमा बीवी

10. उत्तरः क. मदर टेरेसा (1979)

11. उत्तरः ग. रीता फारिया

12. उत्तरः ग. विजयलक्ष्मी पंडित

13. उत्तरः ग.अरुंधति रॉय (1997)

14. उत्तरः ख. प्रतिभा पाटिल (2007 से 2012 तक)

15. उत्तरः घ. हरिता कौर दयाल

16. उत्तरः ग. कल्पना चावला

17. उत्तरः ख. नीरजा भनोट

18. उत्तरः क. कर्णम मल्लेशवरी

19. उत्तरः क. लीला सेठ

20. उत्तरः ख. अन्ना चांडी

21. उत्तरः घ. अन्ना राजम मल्होत्रा

22. उत्तरः ग. किरण बेदी

23. उत्तरः क. कंचन चैधरी भट्टाचार्य

24. उत्तरः घ. पुनीता अरोड़ा

25. उत्तरः ख. इंदिरा गांधी

राष्ट्रीय महिला आयोग • NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN

राष्ट्रीय महिला आयोग

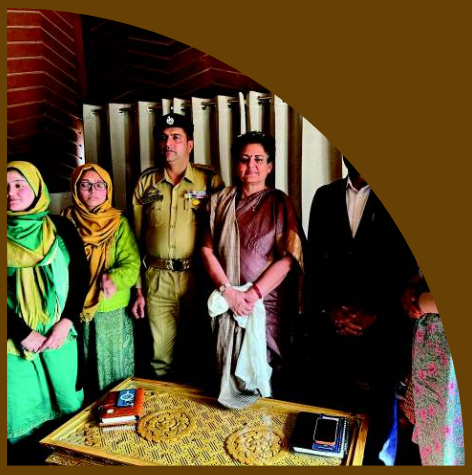

सशक्त नारी
सशक्त भारत

राष्ट्रीय महिला आयोग

राष्ट्रीय महिला आयोग, भारत की स्वतंत्रता में सहभागी रही और आज तक अपने देश भारत की परम्परागत सांस्कृतिक और साहित्यिक पराकाष्ठाओं को निरंतर चरम पर पहुँचा रही "हिंदी भाषा" की मान्यता को समझता है।
"अरुणिमा" में प्रकाशित कविताएं, लेख और कहानियाँ इस बात को चरितार्थ करती हैं।

जब महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और अधिकारों की हो बात
तब राष्ट्रीय महिला आयोग देता है सदैव आपका साथ

राष्ट्रीय महिला आयोग की Helpline महिलाओं के लिए सातों दिन, चौबीस घण्टे उपलब्ध है। कॉल करें: 7827170170